NOTIFICATIONS (अधिसूचनायें)

[Notification No. 7 (47) Rules/HQ/Transport/87, dated 6.6.1994, Pub. In Raj. Gazette E.Q. Part 4(Ga) ii dated 6.6.1994].– In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 of Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government in supersession of all previous notifications issued in this behalf hereby authorise:–

(1) In Transport Department, any officer not below the rank of Motor vehicle Sub-Inspector.

(2) In Police Department:–

(a) any officer not below the rank of Sub-Inspector of Traffic in Jaipur City.

[4][(b) Dy. Superintendent of Police/Circle Officer, SHO not below rank of Sub-Inspector, Inspector of Traffic Police and Inspector of Mobile Traffic Units throughout the State except Jaipur city.]

[1][(c) Sub-Inspector of Traffic in all Range Head Quarters except Jaipur city.]

to compound the offences committed under the said Act and punishable under section mentioned in column 2 of the Schedule below for the amount specified in corresponding column No 3:–

SCHEDULE

S. No.	Section under which the offence committed is to Be compounded	Amount in Rs. for which the offence is to be compounded
1	2	3
[2][1.	177	100/– for first offence 300/– for subsequent offence]
2.	178(1)	Ten times the fare or Rs. Five hundred, whichever is less.
3.	178(2)	Ten times the fare or Rs. Five hundred, whichever is less
4.	178(3)(a)	40/–
5.	178(3)(b)	100/–
[3][6.	179(1)	300/–]
[3][7.	179(2)	500/–]
[3][8.	180	200/– for Non-transport Vehicle 500/– for Transport Vehicle]
[3][9.	181	200/– for Non-transport Vehicle

1. Added by Noti. No. F. 7(47) Rules/Hq./Tr./87/II, dated 6.9.2005
2. Subs. by Noti. No. F. 7(47) Rules/Hq./Tr./87, dated 14.7.1998.
3. Subs. by Noti. No. F 7(47) Rules/Hq./Tr./87/II, dated 30.11.2004.
4. Subs. by Noti. No. F. 7(47) Rules/Hq/Tr./87/II/11345-55, dated 5.10.2007.

1	2		3
			500/– for Transport Vehicle]
10	182(1)		250/–
11	182(2)		50/–
[1][12.	183(1)		400/–
	183 (2)		300/–
13.	183(2)		200/–
[1][14.	184		1000/– (1) Driving dangerously
			200/– (2) Drive two wheeled vehicle without wearing helment
			300/– (3) Drive vehicle without fastening the seat belt
			300/– (4) Drive vehicle engaging himself in cellular phone]
15.	186		200/–
[1][16.	189		500/–]
17.	191		250/–
18.	192		
	(a)	**Using vehicle without Registration:–**	
	1.	Two Wheeler	100/–
	2.	Three Wheeler passenger vehicle:	
		(i) Auto Ricksha/Auto To[illegible]	500/–
		(ii) Other Vehicle Tempo/[illegible] etc.	1000/–
	3.	Other than three Wheele[illegible] Vehicles:–	
		(i) With seating capacity upto 6 in all	1500/–
		(ii) With seating capacity 7 to 12 in all	2000/–
		(iii) With seating capacity 13 to 25 in all	2500/–
		(iv) with seating capacity above 25 in all	4000/–
	4.	Tractor/Trailer	1000/–
	5.	Light Goods Vehicle	2000/–
	6.	Medium Goods Vehicle	3000/–
	7.	Heavy Goods Vehicle	4000/–
	(b)	**Using Vehicles without Permit:–**	
	1.	Three Wheeler Passenger vehicles:–	
		(i) Auto Rickshaw/Auto Tonga	500/–
		(ii) Other Vehicle Tempo/Vikram etc.	1000/–

1. Subs. by Noti. No. F. 7(47) Rules/Hq./Tr./87, dated 30.11.2004.

1	2	3
	2. Other than three wheeler Passenger Vehicles:–	
	(i) With seating capacity upto 6 in all	1500/–
	(ii) With seating capacity 7 to 12 in all	2000/–
	(iii) With seating capacity 13 to 25 in all	2500/–
	(iv) With seating capacity above 25 in all	4000/–
	3. Light Goods Vehicles	1000/–
	4. Medium Goods Vehicles	1500/–
	5. Heavy Goods Vehicles	2000/–
	(c) **using vehicles in contravention of condition of permit mentioned in Section 192 other than the condition of over crowding of passengers :–**	
	1. Three Wheeler Passenger Vehicles:–	
	(i) Auto Ricksha/Auto Tonga	250/–
	(ii) Other Vehicles Tempo/Vikram etc.	500/–
	2. Other than three wheeler Passenger Vehicles :–	
	(i) With seating capacity upto 6 in all	750/–
	(ii) With seating capacity 7 to 12 in all	1000/–
	(iii) With seating capacity 13 to 25 in all	1250/–
	(IV) With seating capacity above 25 in all	2000/–
	3. Light Goods Vehicles	500/–
	4. Medium Goods Vehicles	750/–
	5. Heavy Goods Vehicles	1000/–
	(d) **For over-crowing passengers:–**	
	(i) Three Wheelers Passenger Vehicle	20/– per passenger.
	(ii) Other than three wheeler passenger vehicles with seating capacity upto 25 in all	30/– per passenger.
	(iii) Passenger vehicles with seating capacity above 25 in all	50/– per passenger.
[1][19.	194 (a) In contravention of section 113 194 (b) In contravention of section 115	1000/– upto 2 tonne & 300/– per tonne & part thereof in addition to 300/–]

1. Added by Noti. No. F. 7(47) Rules/Hq./Tr./94/I, dated 28.6.2005.

1	2	3
20.	194(2)	1500/–
21.	196	50/– Two Wheeler 100/– Non Transport Vehicle other than two wheeler. 500/– Transport vehicle.
22.	198	50/–
[1][23.	190(2)	100/– Two Wheeler engine capacity upto 50 c.c. 200/– Other two wheelers. 500/– Non Transport vehicle other than two wheeler. 300/– Auto Rickshaw/Auto Tonga passenger vehicle. 500/– Three wheeler Transport vehicle other than Auto Rickshaws/Auto Tonga passenger vehicle. 1000/– Transport vehicle other than Three Wheeler.]

[2][Provided that the officers of the Police Department shall not exercise the powers to compound the offences committed under Section 113 and 114 punishable under Section 194 of the said Act.]

[Notification No. F. 7/(148)/Pari/Rule/Hq/95, dated 29.2.1996.– In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988), the State Government in supersession of previous Notification No.F.7(1) Rules/ Tr., 189, dated 19th June, 1989, hereby appoint, every M.B.B.S. doctor not below the rank of Medical officers of Hospitals and Health Centers of Government of Rajasthan or every M.B.B.S. doctor not below the rank of Assistant Professor of Medical College of Government of Rajasthan, to sign medical certificates prescribed under the Central Motor Vehicles Rules, 1989 in respect of the applicants for driving licences.

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-ord. Pt.-IV(C), dated 29.2.1996]

[Notification No. F.7(19) Pari/rules/Hq/97 dated 21.5.1999.– In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 116 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), the State Government hereby empowers all District Superintendent of Police (except Jaipur City) and for Jaipur City, Superintendent of Police (Traffic) Jaipur City to remove or cause to be removed any sign or advertisement which is so placed in his opinion as to obscure any traffic sign from view or any sign or advertisement which in his opinion is so similar in appearance to a traffic sign as to be misleading or which in his opinion is likely to distract the attention or concentration of the driver.

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-ord. Pt.-IV(C), dated 22.5.1999]

1. Added by Noti. No. F. 7(47) Rules/HQ/Tr./87, dated 1.2.1995.
2. Added by Noti. No. F. 7(47) Rules/HQ/Tr./87, dated 28.12.1999.

[Raj. Motor Vehicles Rules, 1990- Trailor driven by Tractor, exempted from Registration fee].

अधिसूचना सं. 7(4) परि./नियम/मु./पार्ट-II, एस.ओ. 7, दिनांक 12.4.2001.— राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.6 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, यह राय रखते हुये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद्द्वारा ट्रेक्टर द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर को जो अनन्य रूप से कृषि कार्य में उपयोग में लिया जाता है, पंजीयन शुल्क से छूट प्रदान करती है।

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord. Part-IV(Ga)(II) dated 12.4.2001].

[Central Motor Vehicle Rules, 1989-Rules 108- High Dignitaries, permitted to use Red light on vehicles]

अधिसूचना सं. 13(11) परि./2000, दिनांक 14.5.2001.— इस विभाग की अधिसूचना सं प. 13(14) परि/90, दिनांक 22.10.1994 जिसे अधिसूचना सं. प. 13(11) परि/2000, दिनांक 12/16.4.2001 में संशोधन किया गया है, के अतिक्रमण में राज्य सरकार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित उच्च पदस्थों को ले जाने वाले या उनका अनुरक्षण करने वाले यानों के सामने लाल बत्ती के उपयोग को अनुज्ञात करती है:—

1. राज्यपाल, राजस्थान, 2. मुख्यमंत्री, राजस्थान, 3. मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, 4. अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, 5. लोकायुक्त, राजस्थान, 6. मंत्रिमण्डल के सदस्यगण, राजस्थान, 7.मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा, 8. नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभा, 9. न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, 10. राज्यमंत्री/उपमंत्री, राजस्थान, 11. उपाध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा, 12. उप मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा, 13. मुख्य सचिव, राजस्थान, 14. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, 15. एडवोकेट जनरल, राजस्थान सरकार, 16. समस्त प्रमुख शासन सचिव, 17. पुलिस महानिदेशक, 18. सम्भागीय आयुक्त/पुलिस उप–महानिरीक्षक, रेंज, 19. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान 20. समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश, 21. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, जोधपुर, 22. नगर निगम जयपुर, जोधपुर एवं कोटा के महापौर, 23. समस्त जिला प्रमुख, राजस्थान, [1][24. अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान।]

सरकार यह आदेश भी करती है कि चिकित्सा, नागरिक सुरक्षा और रेडक्रास के एम्बुलेंस यान के सामने बैंगनी रंग के कांच से ढकी हुई लालबत्ती का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत है।

सरकार यह आदेश और करती है कि निम्नलिखित विभागों/पदाधिकारियों के यानों के सामने नीली बत्ती का उपयोग किया जा सकेगा:—

1. जिलों में पदस्थापित समस्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
2. जोधपुर शहर में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (मोबाइल)
3. गश्ती ड्यूटी के लिये प्रयुक्त पुलिस [2][आबकारी], परिवहन विभाग के यान

यह भी आदिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त के सिवाय कोई भी यान, यान के सामने लाल या नीली बत्ती का उपयोग नहीं करेगा।

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord. Part-I (Kh), dated 30.5.2001]

---

1. अधि.सं. प. 13(11) परि/2000, दिनांक 4.7.2002 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग–4(ग)(II) दिनांक 29.7.2002 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया।
2. अधि.सं. प. 7(60) परि/नियम/मु., दिनांक 1.10.2005 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

[Raj. Motor Vehicle Rules, 1990- Relexation and exemption from provisions of rules.]

Notification No. F. 7(66) Psti/Rules/Hq. dated 5.7.2002.– In exercise of the powers conferred by rule 8.28 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990 and in supersession of all previous notifications issued in this regard, the State Government hereby,–

(a) Relax the provisions of these rules in the case of–

(i) Pillion riders, and

(ii) Sikh drivers wearing turban;

(b) Exempt from the provisions of these rules, areas other than the municipal limits of all district Headquarters of the State.

[Pub. In Raj. Gaz. Ex.Ord., Pt-1(Kh) dated 5.7.2002]

[Motor Vehicles International Circulation Rules, 1933-Regional Transport Officers, appointed as competent officer.]

अधिसूचना सं. 7(239) परि./नियम/मु. 2003, एस.ओ. 240, दिनांक 12.9.2003.– दी मोटर व्हीकल्स इन्टरनेशनल सरकूलेशन रूल्स, 1933 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और गृह विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 13(3) होम–7/80, दिनांक 3.12.1980 द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी के अलावा राज्य सरकार संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को भी उनके क्षेत्राधिकार के लिये एतद्द्वारा, सक्षम अधिकारी नियुक्त करती है।

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord. Part-IV(Ga)(II), dated 12.9.2003].

[Raj. Motor Vehicles Rules, 1990-Vehicle which is used by handicapped person, exempted from Registration fee.]

अधिसूचना सं. 7(94) परि./नियम/मु./पार्ट-II/2001, एस.ओ. 253, दिनांक 25.9.2003– राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.6 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, यह राय रखते हुये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद्द्वारा अशक्त यात्री गाड़ी को, जो अनन्य रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली जाती है, पंजीयन शुल्क से छूट प्रदान करती है।

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord. Part-IV(Ga)(II), dated 25.9.2003].

[Raj. Motor Vehicles Rules, 1990- Principals of recognised Higher Secondary Schools/Collages, authorised to issue Learning Licence to their students for non-transport Vehicles on conditions.]

अधिसूचना सं. 7(51) परि./नियम/मु./95/पार्ट-II, एस.ओ. 324, दिनांक 20.1.2004.– राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 2.1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, यह राय रखते हुये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद्द्वारा राज्य के मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्राचार्यों को परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन उनके विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को गैर परिवहन यान का लर्निंग लाइसेंस जारी करने हेतु अधिकृत करती है।

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord. Part-IV(Ga)(II), dated 20.1.2004].

[Central Motor Vehicles Rules, 1989-R. 118(1)-Fixing of speed Governor A 018, compulsory in Jaipur and Jodhpur city.]

अधिसूचना सं. 7(117) परि./नियम/मु./94/पार्ट-I, **एस.ओ. 364, दिनांक 13.2.200** राजस्थान मोटर यान नियम, 1989 के नियम 118 के उपनियम (1) **द्वारा** प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग क हुये राज्य सरकार, यह राय रखते हुये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद्द्वारा जयपु जोधपुर शहर में अनन्य रूप से नगरीय सेवा में संचालित यात्री बसों के अनुज्ञापत्र धारियों द्वारा उ नगरीय सेवा में संचालित बसों में उक्त अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 3 माह की अवधि में मा AIS : 018 के अनुरूप स्पीड गवर्नर लगवाना, अनिवार्य करती है।

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord. Part-IV(Ga)(II), dated 13.2.2004].

[Motor Vehicles Act, 1988-Sec.200-Compound amount for compoundable offen reduced.]

अधिसूचना सं. 7(47) परि./नियम/मु./87/पार्ट-II, एस.ओ. 369, दिनांक 16.2.200 मोटर यान अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम सं. 59 आफ 1988) की धारा 200 के अन्तर्गत प्र शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त धारा के अन्तर्गत समय–समय पर अधिसूचनाओं द्वारा विभिन्न अपराधों के प्रशमन के लिये निर्धारित प्रशमन राशि को उन अपराधों के में जो दिनांक 31.12.2003 तक किये गये हों तथा जिनका दिनांक 29.02.2004 तक प्रशमन कराया घटाकर आधा करती है, परन्तु जिनका दिनांक 31.3.2004 तक प्रशमन कराया जावे, प्रशमन राशि घट तीन–चौथाई करती है।

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord. Part-IV(Ga)(II), dated 20.2.2004].

भार यानों द्वारा वाहन के प्रमाण-पत्रों के स्थान पर वाहन में संयुक्त प्रमाण-पत्र रखने की ऐच्छिक योजना

अधिसूचना सं. 7(4) परि./नियम/मु./संशोधन/II/92 एस.ओ. 395, दिनांक 28.2.200 राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.19 के उपनियम (4) के खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्र शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार संयुक्त प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया निम्नानु निर्धारित करती है, अर्थात्:–

1. नाम और प्रारम्भ.– (1) इस योजना का नाम भार यानों द्वारा वाहन के प्रमाण–पत्रों के स पर वाहन में संयुक्त प्रमाण–पत्र रखने की ऐच्छिक योजना][1] है।

(2) उक्त योजना राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषायें.– इस योजना में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) ***"अधिनियम"*** से तात्पर्य मोटर यान अधिनियम, 1988 (59 आफ 1988) से है।

(ख) ***"नियम"*** से तात्पर्य मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत बने नियम से है।

(ग) ***"प्ररूप"*** से तात्पर्य इस योजना में संलग्न प्ररूप से है।

(घ) ***"संयुक्त प्रमाण-पत्र"*** से तात्पर्य इस योजना के तहत निर्धारित प्रपत्र में यान के स्वामी जारी प्रमाण–पत्र से है।

(ङ) ***"कर की रसीद/टोकन"*** से तात्पर्य राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 इसके अधीन बनाये गये नियमों के तहत जारी कर की रसीद/टोकन से है।

---

1. राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग)(II) दिनांक 28.2.2004 पर प्रकाशित द्वारा।

3. संयुक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु शर्तें.– इस योजना के अधीन निम्न शर्तों की पूर्ति करने वाला भार वाहन स्वामी उक्त प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेगा:–

(i) वाहन नियमानुसार पंजीकृत हो।

(ii) वाहन का वैध फिटनेस प्रमाण–पत्र हो।

(iii) वाहन का वैध अनुज्ञापत्र का भाग "क" और "ख" हो तथा राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रधारी वाहन का ऑथोराइजेशन प्रमाण–पत्र हो तथा यह अनुज्ञापत्र/ऑथोराइजेशन प्रमाण–पत्र राजस्थान राज्य के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(iv) वाहन स्वामी द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 के तहत वाहन पर देय कर के जमा होने के प्रमाण स्वरूप जमा कर की रसीद एवं टोकन प्राप्त कर लिया गया हो।

(v) संयुक्त प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित फीस जमा करवा दी गई हो।

4. संयुक्त प्रमाण-पत्र जारी करने की फीस.– प्रमाण–पत्र हेतु नीचे वर्णित सारणी में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार फीस देय होगी:–

क्र.सं.	**भार वाहनों की श्रेणी**	**कलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिये फीस** (रुपयों में)
1	7500 कि.ग्रा. तक के जी.वी.ड्ब्ल्यू.	750.00
2.	7500 कि.ग्रा. से ऊपर और 16200 कि.ग्रा. तक के जी.वी.डब्ल्यू.	1,000.00
3	16,200 कि.ग्रा. से ऊपर और 25,000 कि.ग्रा. तक के जी.वी.डब्ल्यू.	1,500.00
4.	25,000 कि.ग्रा. से ऊपर और 35,200 कि.ग्रा. तक के जी.वी.डब्ल्यू.	2,000.00
5.	35,200 से ऊपर के जी.वी.डब्ल्यू.	2,500.00

5. संयुक्त प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया.– (i) आवेदक संयुक्त प्रमाण–पत्र हेतु सादा कागज पर संबंधित कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ii) आवेदन–पत्र के साथ निर्धारित फीस जमा की रसीद लगानी होगी।

(iii) आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र, फिटनेस प्रमाण–पत्र, अनुज्ञापत्र का भाग–क और ख, बीमा प्रमाण–पत्र/कवर नोट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र कर जमा की रसीद/टोकन एवं इनकी छाया प्रति संलग्न करनी होगी। छाया प्रति का मूल प्रमाण–पत्रों से सत्यापन करने के उपरान्त आवेदक को मूल दस्तावेज लौटा दिये जायेंगे।

6. संयुक्त प्रमाण-पत्र की कालावधि.– संयुक्त प्रमाण–पत्र एक कलेण्डर वर्ष के लिये अथवा संयुक्त प्रमाण–पत्र में वर्णित फिटनेस प्रमाण–पत्र, अनुज्ञापत्र का भाग "क" और "ख" अथवा कर जमा की अवधि तक मान्य होगा, एक वर्ष की अवधि से पूर्व किसी दस्तावेज की वैधता के समाप्त होने पर यह प्रमाण–पत्र भी स्वतः समाप्त हो जायेगा, परन्तु वाहन स्वामी अपने समाप्त होने वाले दस्तावेज का समय पर नवीनीकरण करवाकर इसका इन्द्राज संयुक्त प्रमाण–पत्र में करवाता है तो उक्त संयुक्त प्रमाण–पत्र पूरे कलेण्डर वर्ष के लिये मान्य होगा तथा प्रमाण–पत्र की वैधता का इन्द्राज जारी संयुक्त प्रमाण–पत्र में करवाने के लिये अलग से फीस देय नहीं होगी।

7. संयुक्त प्रमाण-पत्र का प्रारूप एवं प्रकार.– संयुक्त प्रमाण–पत्र आवेदक को प्ररूप–1 में वाटर

मार्क स्टेशनरी पर होलोग्राम लगाकर कराधान अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। जारी प्रमाण–पत्र पर कराधान अधिकारी का नाम, मोहर एवं हस्ताक्षर होंगे तथा इसकी एक प्रति कार्यालय में रखी जावेगी। वाहन स्वामी वाहन में पंजीयन प्रमाण–पत्र, फिटनेस प्रमाण–पत्र, अनुज्ञापत्र एवं जमा कर की रसीद की एवज में उक्त प्रमाण–पत्र वाहन में रख सकेगा।

8. संयुक्त प्रमाण-पत्र का निलंबन/निरस्तीकरण.— कराधान अधिकारी अगर संतुष्ट है कि आवेदक द्वारा उक्त प्रमाण–पत्र किसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया गया है तो आवेदक को नोटिस देकर एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त प्रमाण–पत्र को निलंबित/निरस्त कर सकेगा।

9. संयुक्त प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना.— (1) किसी भार यान का चालक/स्वामी वर्दी पहने किसी पुलिस अधिकारी अथवा परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा उन दस्तावेजों जिनका उल्लेख संयुक्त प्रमाण–पत्र में किया गया है के मांगे जाने पर इसकी एवज में उसके द्वारा प्राप्त संयुक्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर सकेगा जो मान्य होगा। संयुक्त प्रमाण–पत्र केवल पंजीयन प्रमाण–पत्र, फिटनेस प्रमाण–पत्र अनुज्ञापत्र के भाग "क" और "ख" एवं जमा कर की रसीद के प्रयोजनार्थ ही मान्य होगा।

प्ररूप—1

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

संयुक्त प्रमाण-पत्र

क्रमांक...

वाहन संख्या...

परमिट वैधता...

फिटनेस वैधता...

कर जमा...तक

जारी करने की दिनांक.............................

नोट— संयुक्त प्रमाण–पत्र की वैधता जारी करने की दिनांक से एक वर्ष होगी। एक वर्ष की अवधि पूर्व किसी दस्तावेज की वैधता के समाप्त होने पर यह प्रमाण–पत्र स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।

[Central Motor Vehicles rules, 1989- R. 118- Time limit, extended for 3 months upto 12.8.2004]

अधिसूचना सं. प. 7(117) परि/नियम/मु./94/पार्ट-I, एस.ओ. 25, दिनांक 19.5.2004— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 118 के उपनियम (1) के अन्तर्गत विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.2.2004 जारी कर, जयपुर व जोधपुर शहर में अनन्य रूप से नगरीय सेवा में संचालित यात्री बसों के अनुज्ञापत्रधारी द्वारा उनकी नगरीय सेवा में संचालित बसों में उक्त अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 3 माह की अवधि में मानक A.I.S. : 018 के अनुरूप स्पीड गवर्नर लगवाना अनिवार्य किया गया था।

चूंकि निर्धारित मानक के स्पीड गवर्नर वाहन स्वामियों को उपलब्ध नहीं हो पाये हैं अतः राज्य सरकार यह राय रखती है कि वाहन स्वामियों को स्पीड गवर्नर लगाने हेतु अतिरिक्त समय दिया जाना उचित होगा। अतः एतद्द्वारा जयपुर व जोधपुर में अनन्य रूप से संचालित नगरीय सेवा में संचालित

यात्री बसों के अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा उनकी नगरीय सेवा में संचालित यात्री बसों में स्पीड गवर्नर लगाने हेतु अधिसूचना दिनांक 13.2.2004 द्वारा प्रदत्त समयावधि को 3 माह और बढ़ाया जाता है, अर्थात/ दिनांक 12.8.2004 तक इन अनुज्ञापत्रधारियों को निर्धारित मानक का स्पीड गवर्नर अपनी नगरीय सेवा के वाहनों में अनिवार्य रूप से लगाना होगा।

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord. Part-IV(Ga)(II), dated 19.5.2004]

[Raj. Motor Vehicle Rules, 1990-R.2.1-Licence holders of Motor Driving School, authorised to issue Learning Licence to their Trainees on conditions.]

अधिसूचना सं. प. 7(51) परि./नियम/मु./पार्ट-II, एस.ओ. 58, दिनांक 30.6.2004– राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 2.1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, यह राय रखते हुये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद्द्वारा राज्य में मोटर ड्राईविंग स्कूल स्थापित करने हेतु अनुज्ञप्तिधारियों को परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन उनके मोटर ड्राईविंग स्कूल में चालन प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों को लर्निंग लाइसेंस जारी करने हेतु अधिकृत करती है।

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord. Part-IV(Ga)(II), dated 30.6.2004]

[Raj. Motor Vehicles Rules, 1990-R.2.1-Trade Certificate holder Motor Vehicle dealers, authorised to issue non-transport vehicle learning licence to their Motor Vehicle purchasers o conditions.]

अधिसूचना सं. प. 7(51) परि./नियम/मु./पार्ट-II, एस.ओ. 59, दिनांक 1.7.2004– राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 2.1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, यह राय रखते हुये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद्द्वारा राज्य के ट्रेड सर्टिफिकेटधारी मोटर वाहन डीलर्स को परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन उनकी फर्म से मोटर वाहन क्रय करने वाले क्रेताओं को गैर–परिवहन यान का लर्निंग लाइसेंस जारी करने हेतु अधिकृत करती है।

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord. Part-IV(Ga)(II), dated 1.7.2004]

अधिसूचना सं. प. 7(71) परि./नियम/मु./97/पार्ट/107, दिनांक 1.7.2005.– मोटर यान अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम सं. 59 आफ 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उपधारा के खण्ड (क) से (घ) तक की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये तथा इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 20.11.2000 का अतिक्रमण करते हुये, राज्य सरकार राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों को एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करती है, अर्थात्–

यतः राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण अनन्यतः नगरपालिका या नगर सुधार न्यास क्षेत्रों के भीतर चलाये जाने वाले मंजिली वाहनों, ऑटोरिक्शाओं व ऑटो तांगाओं के भाड़ों की दरों का पुनरीक्षण करना आवश्यक हो गया है,

अतः अब राज्य सरकार यह निर्देश देती है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं समस्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, अनन्यतः नगरपालिका या नगर सुधार न्यास क्षेत्रों में चलाये जाने वाले मंजिली वाहन, ऑटोरिक्शा व ऑटोतांगा का अधिकतम भाड़ा तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार तय करेगी:–

वाहन की किस्म	रु.पै.	भाड़े की दरें	रोके रखने के लिये प्रभार	सामान के लिये प्रभार
1. मंजिली गाड़ियां	3.00	2 कि.मी. तक		
	4.00	2 कि.मी. से अधिक किन्तु 4 कि.मी. तक		
	5.00	4 कि.मी. से अधिक किन्तु 6 कि.मी. तक		
	6.00	6 कि.मी. से अधिक किन्तु 10 कि.मी. तक		
	7.00	10 कि.मी. से अधिक किन्तु 15 कि.मी. तक		
	8.00	15 कि.मी. से अधिक किन्तु 20 कि.मी. तक		
	10.00	20 कि.मी. से अधिक किन्तु 30 कि.मी. तक		
	12.00	30 कि.मी. से अधिक		
3. ऑटो रिक्शा	9.00	प्रथम एक कि.मी. तक के लिये न्यूनतम	रोके रखने की संपूर्ण अवधि के लिये 20 पैसे प्रतिमिनिट।	1. 10 कि.ग्रा. तक के किसी भी पैकेज के लिये कोई प्रभार नहीं। 2. 10 कि.ग्रा. से अधिक के पैकेज के लिये 2/– रु. प्रति पैकेज।
	5.00	प्रत्येक प्रश्चात्वर्ती कि.मी. के लिये		
4. ऑटो तांगा	11.00	प्रथम एक कि.मी. तक के लिये न्यूनतम	रोके रखने की संपूर्ण अवधि के लिये 20 पैसे प्रतिमिनिट।	1. 10 कि.ग्रा. तक के किसी भी पैकेज के लिये कोई प्रभार नहीं। 2. 10 कि.ग्रा. से अधिक के पैकेज के लिये 2/– रु. प्रति पैकेज।
	6.00	प्रत्येक प्रश्चात्वर्ती कि.मी. के लिये		

नोट— रात्रिकालीन प्रभार— ऑटोरिक्शा व ऑटोतांगा के लिये रात्रि 10.30 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक उपर्युक्त दरों से देय भाड़े के अतिरिक्त उसका 25 प्रतिशत और देय होगा।

अधिसूचना सं. एफ. 7(141) परि./नियम/मु./95, दिनांक 1.7.2005.— मोटर यान अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम सं. 59 आफ 1988) की धारा 200 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त धारा के अन्तर्गत, समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा विभिन्न अपराधों के प्रशमन के लिये निर्धारित प्रशमन राशि को, उन अपराधों के संबंध में जो दिनांक 30.9.2004 तक किये गये हों तथा जिनका दिनांक 31.8.2005 तक प्रशमन कराया जावे, घटाकर आधा करती है, परन्तु यह कि इस प्रकार के वाहन के प्रत्येक पंचनामा/चालान में वर्णित अपराध/अपराधों के लिये सम्मिलित रूप से देय उक्त प्रशमन राशि दिनांक 31.3.2004 तक किये गये अपराध/अपराधों

के संबंध में 500/– रु. तथा 1.4.2004 से 30.09.2004 तक किये अपराध/अपराधों के संबंध में 1000/ रु. से अधिक नहीं होगी।

अधिसूचना सं. प. 7(100)(71) परि./नियम/मु./2005/106, दिनांक 1.7.2005.– मोटर यान अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम सं. 59 आफ 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और उक्त उपधारा के खण्ड (क) से (घ) तक की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये तथा इस संबंध में पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करते हुये, राज्य सरकार राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों को एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करती है, अर्थात्–

यतः राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण मंजिली गाड़ियों के यात्री भाड़े की संरचना का पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है,

अतः अब राज्य सरकार यह निर्देश देती है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं समस्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, तुरन्त प्रभाव से अनन्य रूप से नगरपालिका या नगर सुधार न्यास क्षेत्र के भीतर चलायी जा रही मंजिली गाड़ियों से भिन्न मंजिली गाड़ियों के संबंध में अधिकतम यात्री भाड़ा निम्न अनुसार नियत करेगी:–

(1) साधारण सेवा–	
(क) 60 कि.मी. तक की दूरी के लिये	40 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(ख) 60 कि.मी. से अधिक की दूरी के लिये	43 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(2) एक्सप्रेस/मेल सेवा	45 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(3) सेमी डीलक्स सेवा	50 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(4) डीलक्स सेवा	69 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(5) वातानुकूलित सेवा	120 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री

स्पष्टीकरण संख्या 1– यह दरें इस शर्त के अधीन रहते हुये अधिकतम होगी कि वयस्क यात्रियों से 5 कि.मी. की दूरी तक पर्भार्य न्यूनतम यात्री भाड़ा 2.00 रु. होगा और बालक यात्रियों के मामले में 1.00 रु. होगा।

स्पष्टीकरण संख्या 2– "एक्सप्रेस/मेल सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से अनुज्ञात ठहरने के स्थान तथा जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर ठहरने के सिवाय, कम से कम 40 कि.मी. तक चल चुकने के पूर्व किसी भी स्थान पर नहीं ठहरती। एक्सप्रेस/मेल बसों में गद्दीदार सीटें लगी होंगी।

स्पष्टीकरण 3–

(क) "सेमी डीलक्स सेवा" से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है जिसमें–

1. मुख्य स्तम्भ केन्द्र 736.6 मि.मी. से अधिक है,
2. सीट फ्रेम विश्रामक किस्म के अच्छे उच्च पृष्ठ वाले हो किन्तु सिर विश्रामक की व्यवस्था नहीं हो। सीट फ्रेम की ऊंचाई सीट ग्रेब रेल सहित 1040 मि.मी. मीटर हो,
3. सीट की पृष्ठ से पृष्ठ तक की दूरी 762 मि.मी. हो,
4. विकसित किस्म का रबड़ फोम पृष्ठ विश्रामक के काम में लिया गया हो,
5. सीट विस्तार प्रति यात्री 406.4 मि.मी. X 406.4 मि.मी. हो,

(ख) "डीलक्स सेवा" से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है जिसमें–

1. मुख्य स्तम्भ केन्द्र 1435.10 मि.मी. से कम नहीं है,

2. सीटें या तो स्थिर, पीछे की ओर झुकावदार हो या समायोजन किस्म की हो,
3. सीट की पृष्ठ से पृष्ठ तक की दूरी 914.44 मि.मी. हो,
4. 8 पंखें, 5 ट्यूब लाइट और न्यूनतम दो एयर वेन्टीलेटर लगे हों,
5. सीट फ्रेम की ऊंचाई 1040 मि.मी. हो,
6. बॉडी सर्वतः अवरोधक (इंसुलेटेड) हो, और
7. सीट विस्तार प्रति यात्री 456 मि.मी. X 456 मि.मी. हो।

स्पष्टीकरण संख्या 4— "यात्री भाड़ा 5 कि.मी. के प्रक्रमों (मंजिल) में संगणित किया जावेगा। इस प्रयोजन के लिये 0.5 कि.मी. से अधिक और 5 कि.मी. तक की दूरी को एक प्रक्रम (मंजिल) गिना जावेगा और 0.5 कि.मी. तक की दूरी को छोड़ दिया जायेगा।"

स्पष्टीकरण संख्या 5— संगणित यात्री भाड़े की राशि 1.00 रु. के गुणक में निर्धारित की जावेगी और 49 पैसे या कम की राशि छोड़ दी जायेगी तथा 49 पैसे से अधिक की कोई भी राशि 1.00 रु. तक पूर्णांकित की जावेगी।

उदाहरणार्थ—

1.01 रु. से 1.49 रु.	=	1.00 रु.
1.50 रु. से 1.99 रु.	=	2.00 रु.

अधिसूचना सं. एफ. 7(141) परि./नियम/मु./95, दिनांक 29.8.2005.— मोटर यान अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम सं. 59 आफ 1988) की धारा 200 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त धारा के अन्तर्गत, समय—समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा विभिन्न अपराधों के प्रशमन के लिये निर्धारित प्रशमन राशि को, उन अपराधों के संबंध में जो दिनांक 30.9.2004 तक किये गये हों तथा जिनका दिनांक 30.9.2005 तक प्रशमन कराया जावे, घटाकर आधा करती है, परन्तु यह कि इस प्रकार के वाहन के प्रत्येक पंचनामा/चालान में वर्णित अपराध/अपराधों के लिये सम्मिलित रूप से देय उक्त प्रशमन राशि दिनांक 31.3.2004 तक किये गये अपराध/अपराधों के संबंध में 500/— रु. तथा 1.4.2004 से 30.9.2004 तक किये अपराध/अपराधों के संबंध में 1000/— रु. से अधिक नहीं होगी।

अधिसूचना सं. एफ. 7(4) परि./नियम/2002, दिनांक 16.9.2005.— मोटर यान अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम सं. 59 आफ 1988) की धारा 207 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों, अपर जिला मजिस्ट्रेटों और जिला मजिस्ट्रेटों को उनकी अपनी—अपनी अधिकारिता के भीतर यात्री यानों को अभिगृहीत करने और निरूद्ध करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत करती है यदि उनका उपयोग परमिट के बिना या बैठक क्षमता से संबंधित परमिट की शर्त के उल्लंघन में किया जाता है।

अधिसूचना सं. प. 10(281) परि./पी.डी./भाग-5, दिनांक 12.5.2005.— मोटर यान अधिनियम, 1989 के नियम 115(7) के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजनार्थ वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं प्रदूषण जांच केन्द्रों को प्राधिकृत करने एवं उनके कार्य संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु इस संबंध में जारी पूर्व के सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुये राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है—

मोटर यान प्रदूषण जांच केन्द्र स्कीम–2005

1. **परिभाषायें.**– (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ***"अधिनियम"*** से तात्पर्य मोटर यान अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम सं. 59 आफ 1988) से है,

(ख) ***"नियम"*** से तात्पर्य केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 से है,

(ग) ***"प्ररूप"*** से तात्पर्य इस स्कीम के संलग्न प्ररूप से है,

(घ) ***"प्रदूषण जांच केन्द्र"*** से तात्पर्य इस स्कीम के अधीन जि.प.अ. द्वारा अधिकृत केन्द्र से है, जिसमें मोबाइल प्रदूषण जांच केन्द्र भी सम्मिलित है,

(ङ) ***"प्रमाण-पत्र"*** से तात्पर्य प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा मोटर यान स्वामी को नियम 115 के उपनियम (7) के अन्तर्गत जारी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र से है,

(च) ***"प्राधिकार-पत्र"*** से तात्पर्य प्रदूषण जांच केन्द्र की मोटर यानों के प्रदूषण स्तर की जांच के संबंध में प्राधिकृत करने के लिये जारी किये गये प्राधिकार–पत्र से है,

(छ) ***"प्राधिकृत अधिकारी"*** से तात्पर्य जिले के जि.प.अ. से है, और जहां एक से अधिक जि.प.अ. नियुक्त हैं वहां प्रा.प.अ. द्वारा इस प्रयोजनार्थ मनोनीत जि.प.अ. से है।

2. **प्रदूषण जांच केन्द्र.**– (1) प्रदूषण जांच केन्द्रों के रूप में निम्नांकित श्रेणी की कोई भी एजेन्सी वर्णित शर्तों की पूर्ति के उपरांत अधिकृत होगी–

(क) पेट्रोल पम्प,

(ख) अधिकृत वाहन डीलर,

(ग) वाहन निर्माता कम्पनी का अधिकृत वर्कशॉप स्वामी,

(घ) प्रदूषण जांच उपकरण निर्माता कम्पनी, जो सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय या उसके द्वारा अधिकृत संस्था से अनुमोदित हो, का अधिकृत एजेन्ट या डीलर,

(ङ) प्रदूषण निरीक्षण उपकरण फिटेड मोटर यान के स्वामी,

(च) मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्रीधारक बेरोजगार व्यक्ति।

(2) अधिकृत एजेन्सी द्वारा पूर्ण की जाने वाली शर्तें–

(अ) प्रदूषण जांच केन्द्र चलाने के लिये आवेदक या उसके कर्मचारी के पास न्यूनतम मैकेनिक (डीजल), मैकेनिकल (मोटर यान) का आई.टी.आई. का प्रमाण–पत्र या समतुल्य अर्हता होनी चाहिये परन्तु यदि आवेदक या उसके किसी कर्मचारी के पास ऑटो मोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री हो तो उसे प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने में प्राथमिकता दी जावेगी।

(ब) आवेदक एजेन्सी को केन्द्रीय मोटर यान नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में मोटर यान से उत्सर्जित होने वाली धुयें और गैस की जांच के लिये स्मोक मीटर (प्रिन्टर सहित) गैस एनालाईजर (प्रिन्टर सहित) और यानों की ट्यूनिंग के लिये आवश्यक उपकरण रखना होगा।

3. **अधिकार पत्र हेतु प्राधिकृत अधिकारी.**– (1) इस आदेश के अधीन प्रदूषण जांच केन्द्र अथवा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण फिटेड मोटर यान के रूप में अधिकृत करने हेतु आवेदक द्वारा संबंधित जिले के जि.प.अ. के समक्ष प्ररूप–1 में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन–पत्र में पेट्रोल चलित अथवा

डीजल चलित या दोनों प्रकार के वाहनों की जांच के लिये चाहे गये केन्द्र का उल्लेख किया जावेगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज भी संलग्न किये जायेंगे–

(क) पेट्रोल पम्प की स्थिति में संबंधित पैट्रोलियम कम्पनी का अनुशंसा पत्र अथवा अधिकृत वाहन डीलर या अधिकृत वर्कशॉप की स्थिति में वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रति अथवा, प्रदूषण जांच उपकरण की निर्माता कम्पनी के अधिकृत डीलर या एजेन्ट की स्थिति में ऐसी निर्माता कम्पनी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रति, मोबाइल प्रदूषण जांच केन्द्र की स्थिति में आवेदक के नाम पंजीकृत एवं प्रदूषण जांच मशीन से सुसज्जित वाहन के पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति।

(ख) गैस एनेलाईजर (प्रिन्टर सहित) एवं स्मोक मीटर (प्रिन्टर सहित) जो केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 एवं 116 की अपेक्षाओं के अनुरूप हों, के क्रय के दस्तावेजों की प्रतियां,

अथवा

इस आशय की अण्डरटेंकिंग कि प्राधिकार–पत्र जारी होने के 15 दिन के भीतर वह उक्त उपकरण क्रय कर दस्तावेजों की प्रतियां राज्य सरकार को प्रस्तुत कर देगा।

(ग) मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्रीधारक बेरोजगार आवेदकों को डिप्लोमा/डिग्री की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(2) आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर जि.प.अ. द्वारा प्राधिकार–पत्र प्ररूप–2 में जारी किया जायेगा।

(3) प्राधिकृत पत्र प्रदान करने की फीस 2,000/– रुपये प्रति केन्द्र अर्थात् डीजल चलित एवं पेट्रोल चलित वाहनों के लिये पृथक्–पृथक् प्रभारित की जायेगी। यदि एक ही आवेदक डीजल चलित एवं पेट्रोल चलित वाहनों की प्रदूषण जांच के लिये आवेदन करता है तो डीजल चलित व पेट्रोल चलित एवं वाहनों की जांच के लिये पृथक्–पृथक् प्राधिकार पत्र जारी किये जायेंगे। पेट्रोल, सी.एन.जी. व एल. पी.जी. चलित वाहनों के प्रदूषण मानदण्ड समान होने के कारण पेट्रोल चलित वाहनों की प्रदूषण जांच करने वाले केन्द्र सी.एन.जी. व एल.पी.जी. चलित वाहनों की प्रदूषण जांच भी कर सकेंगे।

(4) राज्य सरकार जिले में रजिस्ट्रीकृत मोटर यानों की संख्या को ध्यान में रखते हुये उस क्षेत्र में प्रदूषण जांच केन्द्रों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर सकेगी।

4. प्राधिकार पत्र की समयावधि एवं नवीनीकरण.– (1) प्रदूषण जांच केन्द्र के लिये जारी किया गया प्राधिकार पत्र दो वर्ष के लिये विधिमान्य होगा और उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दो वर्ष की समयावधि के लिये नवीनीकृत किया जा सकेगा।

(2) प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण हेतु 2,000/– रुपये फीस ली जावेगी। नवीनीकरण आवेदन निर्धारित फीस के साथ विधिमान्यता की समयावधि के समाप्त होने के पूर्व 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा। विधिमान्यता की समयावधि के समाप्त होने के पश्चात् प्राधिकार पत्र स्वतः समाप्त माना जावेगा। बिना नवीनीकरण कराये गये यदि कोई प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है तो वह अवैधानिक माना जावेगा तथा केन्द्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य नियमों के अन्तर्गत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी। जांच केन्द्र को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जावेगी।

(3) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी जांच केन्द्र को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित में दिये गये कारण से जांच केन्द्र के प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण से इन्कार किया जा सकता है।

(4) प्राधिकृत/प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी अपना प्राधिकार पत्र किसी भी समय जि.प.अ. को समर्पित कर सकेगा और ऐसे समर्पण की दिनांक से वह प्राधिकार पत्र निरस्त माना जायेगा परन्तु केन्द्र

द्वारा जमा करायी गयी कोई राशि वापिस नहीं की जायेगी और जारी किये जाने वाले प्रदूषण प्रमाण–पत्र मय स्टीकर (अनुपयोगी) राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन को वापस लौटाकर विभाग को सूचित करेंगे।

[1][(5) **प्राधिकार-पत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी करना**–प्रदूषण जांच केन्द्र को पूर्व में जारी प्राधिकार–पत्र कट–फट जाने, नष्ट हो जाने या खो जाने पर जांच केन्द्र के स्वामी द्वारा रु 10/– के स्टांप पेपर पर शपथपत्र प्रस्तुत करने एवं रु. 2,000/– फीस जमा कराने पर डुप्लीकेट–पत्र जारी किया जायेगा।]

5. प्राधिकार पत्र का निलंबन/रद्दकरण एवं शास्ति.– (1) यदि जि.प.अ. या प्राधिकृत अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि इस स्कीम के अधीन प्राधिकृत कोई प्रदूषण जांच केन्द्र, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों तथा प्राधिकार पत्र की शर्तों की अनुपालना नहीं करता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् और प्राधिकार पत्र धारक को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा प्राधिकार पत्र को रद्द/निलम्बित कर सकेंगे अथवा निम्नलिखित अनियमितताओं के लिये सारणी में वर्णित शास्ति आरोपित कर सकेंगे अथवा प्राधिकार पत्र निरस्त करने के साथ–साथ शास्ति भी आरोपित कर सकेंगे–

सारणी

क्र.सं.	अनियमितताओं का ब्यौरा	न्यूनतम शास्ति (रुपयों में) प्रथम अवसर पर	अधिकतम शास्ति (रुपयों में) पश्चात्वर्ती अनियमितता पर
1	2	3	4
1.	जांच केन्द्र के प्राधिकृत किये जाने का प्रमाण–पत्र सहज दृश्य स्थान पर नहीं लगाना	100/–	200/–
2.	वाहन जनित प्रदूषण के निर्धारित मानकों को बड़े अक्षरों में सहज दृश्य स्थान पर नहीं लगाना।	100/–	200/–
3.	जांच केंद्र के कार्यकारी समय व साप्ताहिक अवकाश के दिवस की सूचना सहज दृश्य स्थान पर नहीं लगाना। (प्रतिदिन कार्य का न्यूनतम समय आवश्यक रूप से 10 बजे से प्रातः 5 बजे सायं तक रखा जायेगा।)	100/–	200/–
4.	प्राधिकार पत्र में दिये गये कार्यस्थल में जिला परिवहन अधिकारी की अनुमति के बिना परिवर्तन करना।	500/–	1000/–
5.	वाहनों की जांच का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र में नहीं रखना।	500/–	1000/–
6.	जांच हेतु आने वाले अधिकारियों को वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाना।	500/–	1000/–
7.	शर्तों के अनुसार प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण किये बिना ही जांच केन्द्र जारी रखना।	1000/–	2000/–

1. अधि.सं.एफ. 10(281) परि/पीडी/2006/II, दिनांक 28.11.2006 द्वारा जोड़ा गया।

1	2	3	4
8.	वाहन जो प्रदूषण जांच केन्द्र पर आता है, उसके चालक के चाहने पर प्रदूषण की जांच से इन्कार करना या जांच में सही पाये जाने पर भी प्रमाण–पत्र जारी करने से इन्कार करना।	100/–	200/–
9.	जांच केन्द्र पर सहज दृश्य स्थान पर बड़े अक्षरों में यह प्रदर्शित नहीं करना कि प्रदूषण जांच से असंतुष्ट होने अथवा इससे संबंधित किसी भी शिकायत को अंकित करने के लिये जांच केन्द्र पर सुझाव एवं शिकायत–पंजिका उपलब्ध है अथवा सुझाव एवं शिकायत–पुस्तिका सहजदृश्य एवं समुचित स्थान पर उपलब्ध नहीं कराना अथवा उक्त पुस्तिका के पृष्ठ क्रम संख्यांकित नहीं रखना।	250/–	500/–
10.	वाहन का बिना निरीक्षण किये या प्रदूषण स्तर निर्धारित मापदण्ड से अधिक होने पर भी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र जारी करना।	500/–	1000/–
11.	प्रदूषण जांच केन्द्र पर वाहनों की प्रदूषण जांच हेतु अधिकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति से जांच कार्य कराना।	500/–	1000/–
12.	विभागीय निर्देशों के अनुसार निर्धारित सूचना निर्धारित समय पर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत नहीं करना।	250/–	500/–
13.	प्रदूषण जांच के लिये वाहनों के स्वामियों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करना।	1000/–	2000/–
14.	आर.पी.डी.ए. द्वारा आवंटित स्टेशनरी से भिन्न प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र अथवा स्टीकर वाहन स्वामी को जारी करना।	1000/–	2000/–
15.	वाहनों की जांच के बाद प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र के साथ वाहन स्वामी को प्रिन्टर की रसीद भी देनी होगी। इस शर्त की पालना नहीं करना।	250/–	500/–
16.	प्रदूषण जांच यंत्र का समुचित रख–रखाव नहीं करना एवं खराब प्रदूषण जांच यंत्र से जांच कार्य करना।	1000/–	2000/–

(2) उपरोक्त सारणी में वर्णितशास्ति प्रत्येक अनियमितता के लिये पृथक्–पृथक् होगी लेकिन एक निरीक्षण के समय पायी गयी सभी प्रकार की अनियमितताओं के लिये शास्ति की कुल राशि 10,000/– रुपये से अधिक नहीं होगी।

(3) अनियमितताओं की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये जांच केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध संबंधित नियमों के तहत् अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जा सकेगा।

(4) यदि विभाग के किसी निरीक्षणकर्त्ता अधिकारी द्वारा अचानक निरीक्षण के समय किसी वाहन

की जांच हेतु प्रदूषण जांच केन्द्र को कोई शुल्क अदा किया जाता है तो यह शुल्क प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा ऐसे निरीक्षणकर्त्ता अधिकारी को लौटाया जायेगा जिसके विषय में कार्यवाही विवरण भी अभिलिखित किया जायेगा।

(5) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही अथवा निर्णय से यदि प्रदूषण जांच केन्द्र सहमत नहीं है तो 30 दिन की अवधि के भीतर वह उस क्षेत्रके प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को अपील कर सकेगा। यदि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा अपील में पारित किये गये निर्णय से भी जांच केन्द्र संतुष्ट नहीं है तो प्रादेशिक अधिकारी के निर्णय के 30 दिन के भीतर वह परिवहन आयुक्त को अपील कर सकता है, विशेष परिस्थितियों में अपील दायर करने से हुये विलम्ब के लिये अपीलीय अधिकारी विलम्ब को क्षमा (माफ) कर सकेंगे। जिसका निर्णय अंतिम होगा।

6. अपील प्राधिकारी.— मोटर वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र स्कीम 2005 की धारा 4(3) एवं 5 के अन्तर्गत नवीनीकरण से इंकार करने, निलम्बन करने, रद्दकरण की स्थिति में संबंधित अपील सुनने वाला प्राधिकृत अधिकारी होगा। द्वितीय अपील अथवा रिवीजन परिवहन आयुक्त द्वारा सुनी जावेगी। परिवहन आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

7. प्रदूषण जांच प्रमाण-पत्र.— (1) प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र पेट्रोल चलित तथा डीजल चलित वाहनों के लिये प्रदूषण जांच प्रमाण–पत्र जारी करेगा जो 6 मास के लिये विधिमान्य होगा।

(2) प्रमाण–पत्र एवं स्टीकर जारी करने के लिये प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी यान के स्वामी से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित करेगा—

(क)	पेट्रोल चलित दो पहिया वाहनों के लिये प्रति वाहन	20/– रु.
(ख)	पेट्रोल चलित तीन पहिया वाहनों के लिये प्रति वाहन	30/– रु.
(ग)	पेट्रोल चलित चार पहिया वाहनों के लिये प्रति वाहन	25/– रु.
(घ)	डीजल चलित दो पहिया वाहनों के लिये प्रति वाहन	50/– रु.
(ङ)	एल.पी.जी./सी.एन.जी. वाहनों के लिये प्रति वाहन	20/– रु.

(3) प्रदूषण जांच प्रमाण–पत्र के साथ स्टीकर भी जारी किया जायेगा। जिसको चार पहिया/तिपहिया यान के विन्डस्क्रीन पर चिपकाने के लिये प्रदाय किया जायेगा। दुपहिया वाहन में स्टीकर वाहन की बॉडी के सामने के भाग पर चिपकाया जायेगा।

8. प्रदूषण जांच केन्द्र का निरीक्षण.— (1) प्रत्येक प्रदूषण जांच केन्द्र का वर्ष में कम से कम दो बार आवश्यक रूप से निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण कार्य परिवहन विभाग के किसी भी अधिकारी, जो परिवहन उप–निरीक्षक से निम्न स्तर का न हो द्वारा किया जा सकेगा और ऐसे प्रत्येक निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्ट संबंधित जिला/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को भेजेगा।

(2) निरीक्षण अधिकारी, निरीक्षण के दौरान यह निरीक्षण करेगा कि अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियमों और प्राधिकार पत्र की शर्तों का अनुपालन, प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा किया जा रहा है या नहीं।

9. रजिस्टर का संधारण.— (1) संबंधित जिले के जि.प.अ. द्वारा प्राधिकृत किये गये प्रदूषण जांच केन्द्रों के ब्यौरे, प्ररूप–3 में रजिस्टर में संधारित किये जायेंगे।

(2) प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् 7 दिवस के भीतर वाहनों के प्रदूषण जांच कार्य का विवरण प्ररूप–4 में जि.प.अ. कार्यालय को भेजा जावेगा।

10. निर्देशों का अनुपालन.— राज्य सरकार अथवा परिवहन आयुक्त इस स्कीम के सुचारू रूप से संचालन की दृष्टि से प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्रों को समय–समय पर आवश्यक निर्देश दे सकेंगे

और ऐसे प्रसारित निर्देशों का पालन प्रदूषण जांच केन्द्र के लिये बाध्यकारी होगा।

11. अपील का तरीका.— अपील एक ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में होगी, जिसमें जि.प.अ. के आदेश के विरूद्ध एतराज के आधार दिये जायेंगे और उसके साथ जिस आदेश की अपील की गई है, उसकी मूल प्रति या प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी एवं राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 2.29 में बताई गई समुचित फीस देनी होगी।

12. जांच केन्द्रों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली स्टेशनरी.— (1) विभाग द्वारा निर्धारित प्ररूप में प्रमाण–पत्र, रजिस्टर आदि स्टेशनरी राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन द्वारा मुद्रित कराई जावेगी जो अधिकृत किये गये जांच केन्द्र को उसके द्वारा गैस एनेलाईजर/स्मोक मीटर के क्रय किये जाने की रसीद प्रस्तुत करने पर ही राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन द्वारा आवंटित की जायेगी।

(2) जांच केन्द्र द्वारा प्रमाण–पत्र जारी करने, रसीद जारी करने आदि के लिये केवल राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन द्वारा आवंटित स्टेशनरी ही प्रयुक्त की जावेगी।

(3) स्टीकर एवं प्रमाण–पत्र के प्रारूप क्रम संख्यांकित होंगे।

(4) जांचे गये वाहनों के विवरण को अंकित करने के लिये प्ररूप–3 में रजिस्टर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन द्वारा प्रमाणित किया जाकर जांच केन्द्र को आवंटित किया जावेगा।

(5) जांच केन्द्र द्वारा स्टेशनरी की मांग राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन को 15 दिन पूर्व सूचित करनी होगी।

(6) जांच केन्द्र को जारी की जाने वाली स्टेशनरी का लेखा–जोखा प्रमाण–पत्रों एवं स्टीकरों के क्रम संख्यांक सहित राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को नियमित रूप से प्रेषित किया जावेगा। प्राधिकृत अधिकारी प्रत्येक जांच केन्द्र को आवंटित ऐसी स्टेशनरी का लेखा–जोखा राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अपने कार्यालय में संधारित करेगा।

(7) राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन द्वारा प्रदूषण जांच केन्द्रों को जारी की गई स्टेशनरी की सूचना आयुक्त परिवहन विभाग को त्रैमासिक संलग्न प्ररूप–7 में प्रेषित की जावेगी।

13. वाहनों की जांच की मासिक प्रगति रिपोर्ट.— (1) प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् 7 दिवस के भीतर वाहनों के प्रदूषण जांच कार्य का विवरण प्ररूप–4 में प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित किया जावेगा।

(2) प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा प्ररूप–3 में एक रजिस्टर में जांच किये गये वाहनों का विवरण अंकित किया जावेगा।

(3) प्राधिकृत अधिकारी प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 10 दिन के भीतर प्ररूप–4 में संकलित सूचना प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को भेजेगा और प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अपने अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर 15 तारीख तक संकलित सूचना जिलेवार परिवहन आयुक्त को प्रेषित करेगा।

14. प्रदूषण जांच कार्य के लिये अधिकृत व्यक्ति.— (1) गैस एनेलाइजर या स्मोक मीटर से जांच का कार्य प्रदूषण जांच केन्द्र पर कार्यरत केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा ही किया जावेगा जो इस कार्य के लिये समुचित प्रशिक्षण प्राप्त है तथा बिन्दु संख्या 2(ii) में निर्धारित योग्यता रखता है।

(2) जांच केन्द्र द्वारा जारी किये जाने वाले प्रत्येक प्रमाण–पत्र व स्टीकर पर उस अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे जिसके नमूने के हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय को प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा

पूर्व में ही उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

(3) प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर और जांच कार्य करने से पूर्व जांच केन्द्र द्वारा अधिकतम 3 व्यक्तियों के नाम एवं उनके नमूने के हस्ताक्षर प्ररूप–5 में 3 प्रतियों में प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे।

(4) जांच केन्द्र द्वारा अधिकृत व्यक्तियों की सूची में कोई परिवर्तन किये जाने की स्थिति में शामिल किये गये व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर और नाम तथा हटाये गये व्यक्ति के नाम की सूचना प्राधिकृत अधिकारी को तुरन्त दी जावेगी। प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किये बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किये जाने पर वह वैध नहीं माना जावेगा। जांच केन्द्र को अधिकृत व्यक्तियों की सूची एवं उनके नमूने के हस्ताक्षर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने का प्रमाण अपने पास उपलब्ध रखना होगा।

(5) जांच केन्द्र द्वारा प्रमाण–पत्र व स्टीकर की सभी प्रविष्टियां सुपाठ्य हस्तलेख में लिखी जावेगी, प्रमाण–पत्र में सभी अपेक्षित विशिष्टियों को पूर्ण किया जावेगा और कोई अधूरा प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जावेगा।

(6) जांच केन्द्र द्वारा प्रमाण–पत्र के विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में कोई प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जावेगा।

15. वाहनों के प्रदूषण जांच की प्रक्रिया.– (1) प्रदूषण जांच करने हेतु स्वामी द्वारा प्रदूषणा जांच केन्द्र अथवा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण फिटेड मोटर यान पर वाहन प्रस्तुत करना होगा। जांच केन्द्र द्वारा गैस एनेलाइजर या यथास्थिति, स्मोक मीटर से वाहन के प्रदूषण स्तर की जांच की जायेगी और प्रदूषण स्तर के माप का गैसएनेलाइजर/स्मोक मीटर पर लगे हुये प्रिन्टर से प्रिंट लिया जायेगा। यदि माप अधिकतम उत्सर्जन प्रदूषण सीमा तक हो तो निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण–पत्र जो क्रम संख्यांकित होगा, जारी किया जायेगा जिसके साथ प्रदूषण स्तर की माप का प्रिंट भी संलग्न किया जायेगा। प्रमाण–पत्र पर जांच केन्द्र की कोड संख्या अंकित की जायेगी। प्रमाण–पत्र की प्रथम प्रति वाहन स्वामी को दी जाकर कार्यालय प्रति जांच केन्द्र पर रखी जायेगी।

(2) जांच केन्द्र द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किये जाने पर जांच किये गये वाहन पर क्रम संख्यांकित किया हुआ स्टीकर भी लगाया जायेगा। स्टीकर पर जांच केन्द्र का कोड नम्बर अंकित होगा एवं जिस माह तक इसकी वैधता है, उस माह को पंच किया जाकर जारी किया जायेगा।

(3) प्रमाण–पत्र और स्टीकर जारी करने से पूर्व जांच केन्द्र द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वाहन का प्रदूषण स्तर नियम 115 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित मापकों के अनुरूप है।

(4) यदि वाहन में उत्सर्जित प्रदूषण अधिकतम सीमा से अधिक है तो प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा वाहन के रजिस्टर में फ्यूल मिक्सचर का एडजेस्टमेंट किया जायेगा जिसके लिये पृथक् से कोई फीस नहीं ली जायेगी। यदि इसके उपरांत भी प्रदूषण का स्तर निर्धारित मानक सीमा से अधिक आता हो तो ऐसे वाहन की जांच की फीस निर्धारित फीस की आधी होगी लेकिन वाहन स्वामी को स्टीकर और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

(5) जांच केन्द्र के परिसर में मोटर वाहनों के अन्दर आने और बाहर जाने हेतु समुचित व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि परिसर के आस–पास सार्वजनिक मार्ग पर यातायात अवरूद्ध न हो तथा परिसर के अन्दर वाहनों के प्रदूषण संबंधी जांच क्रमानुसार सुविधापूर्वक सम्पन्न हो सके। प्रदूषण संबंधी जांच सार्वजनिक मार्ग पर नहीं होकर जांच केन्द्र के परिसर में ही की जायेगी।

(6) यदि प्राधिकार–पत्र निरस्त अथवा निलम्बित कर दिया जाता है तो वाहनों को प्रमाण–पत्र एवं

स्टीकर जारी करने का कार्य जांच केन्द्र द्वारा तत्काल बंद कर दिया जायेगा।

16. प्रमाण-पत्र धारी वाहनों की पुनः जांच.– (1) प्रथम दृष्ट्या अधिक धुआं छोड़कर चलते पाये जाने वाले प्रमाण–पत्र धारी किसी वाहन की प्रदूषण संबंधी पुनः जांच पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारियों के निर्देश पर मौके पर की जा सकेगी। ऐसी पुनः जांच में वाहन का प्रदूषण स्तर यदि निर्धारित मानकों से अधिक पाया जाता है तो निरीक्षणकर्त्ता अधिकारी उक्त वाहन का प्रमाण–पत्र निरस्त कर देगा जिसके लिये प्रमाण–पत्र पर ही इस आशय की तिथि सहित अंकन करेगा और प्रमाण–पत्र के पीछे की ओर वाहन स्वामी को निर्देश भी अंकित करेगा कि वह 7 दिवस में वाहन का प्रदूषण स्तर सही कराकर पुनः वैध प्रमाण–पत्र प्राप्त करें तथा प्रमाण–पत्र संबंधित जिला परिवहन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रमाण–पत्रधारी वाहन यदि उप–पैरा (1) के अन्तर्गत मौके पर जांच के समय प्रदूषण स्तर के निर्धारित मानकों के अनुकूल नहीं पाया जाता है तो ऐसे वाहन चालक से पैरा 8 में निर्धारित फीस की आधी फीस ही संबंधित जांच केन्द्र द्वारा वसूल की जायेगी परन्तु निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पाये गये वाहन के चालक से कोई फीस वसूल नहीं की जायेगी।

17. प्रदूषण जांच उपकरणों का समुचित रख-रखाव.– (1) जांच केन्द्र द्वारा प्रदूषण जांच संबंधी उपकरण सही स्थिति में रखे जायेंगे। यदि किसी समय गैस एनेलाइजर/स्मोक मीटर आदि उपकरण नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप न हो तो वाहनों के प्रदूषण जांच का कार्य निलंबित कर दिया जायेगा एवं वाहनों को प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

(2) प्रदूषण जांच उपकरण सही रूप रूप से कार्यरत रहे, यह सुनिश्तिच करने के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र को गैस एनेलाइजर/स्मोक मीटर (प्रिन्टर सहित) के समुचित रख–रखाव हेतु विधिवत अनुबंध करना होगा।

18. प्राधिकार-पत्र को स्वीकृत या नवीनीकृत करने की फीस तथा शास्ति की राशि को राजकोष में जमा कराना.– प्रदूषण जांच केन्द को स्वीकृत करने के लिये पैरा 3 के उप–पैरा (1) के अतर्गत जमा करायी गयी फीस अथवा नवीनीकरण के लिये पैरा 4 के उप–पैरा (2) व (3) के अन्तर्गत जमा करायी गयी फीस अथवा पैरा 15 के अन्तर्गत वसूल की गयी शास्ति की राशि को राजकोष (मद 0041–वाहन कर) में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जमा कराया जावेगा।

19. शिकायत व्यवस्था.– (1) प्रदूषण जांच व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक जांच केन्द्र पर पता लिखे डाक टिकिट सहित पोस्टकार्ड राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे। वाहन की प्रदूषण जांच के लिये आने वाले किसी भी वाहन स्वामी द्वारा मांगे जाने पर उसको शिकायती पोस्टकार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा। पोस्टकार्ड संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को संबोधित होंगे। इसकी जानकारी भी जांच केन्द पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जायेगी। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में प्राप्त होने वाले पोस्टकार्डों को अलग से रजिस्टर में अंकित कर प्रदूषण नियंत्रण उड़नदस्ते से शिकायत की जांच एक सप्ताह में कराई जावेगी। शिकायत सही पाई जाने पर जांच केन्द्र के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। प्रत्येक शिकायत की जांच का परिणाम शिकायतकर्त्ता को भिजवाया जावेगा।

(2) **प्रदूषण जांच केन्द्र**– प्रदूषण जांच केन्द्र वाहन स्वामियों की शिकायतों एवं उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु एक शिकायत/सुझाव पंजिका रखेगा जो वाहन स्वामी को चाहे जाने पर उपलब्ध कराई जायेगी। जांच केन्द्र द्वारा सहजदृश्य स्थान पर आम सूचना के लिये यह भी प्रदर्शित किया जावेगा कि जांच केन्द्र पर शिकायत/सुझाव पुस्तिका उपलब्ध है और कोई वाहन स्वामी के प्रदूषण स्तर की जांच

के संबंध में असंतुष्ट है तो वह अपने सुझाव या शिकायत उक्त पुस्तिका में अंकित कर सकता है। उप–पैरा (1) में शिकायत के लिये पोस्टकार्डों बाबत की गई व्यवस्था की भी सूचना प्रदर्शित की जावेगी।

20. निर्देशों का पालन.– राज्य सरकार अथवा परिवहन आयुक्त इस आदेश के सुचारू रूप से संचालन की दृष्टि से प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्रों को समय–समय पर आवश्यक निर्देश दे सकेंगे और ऐसे प्रसारित निर्देशों का पालन प्रदूषण जांच केन्द्र के लिये बंधनकारी होगा।

21. अनुदेश तथा निर्देश जारी करने की परिवहन आयुक्त की शक्ति.– (1) इस आदेश के उपबंधों में से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिये,

(2) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिये जो किन्हीं ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो, तथा

(3) प्रदूषण जांच केन्द्र के रूप में प्राधिकृत करने के संबंध में जिसके लिये इस आदेश में कोई उपबंध नहीं है या अपर्याप्त है, तथा जिसके लिये उपबंध करना आवश्यक समझा जावे, अनुदेश तथा निर्देश जारी कर सकेंगे।

प्ररूप–1

[देखिये पैरा 3(1)]

प्रदूषण जांच केन्द्र के लिये आवेदन का प्रारूप

1.	आवेदक एजेन्सी का नाम	....
2.	आवेदक एजेन्सी के स्वामी का नाम (पिता/पति का नाम)	....
3.	पूर्ण डाक पता	....
4.	जांच केन्द्र हेतु क्या पेट्रोलियम कम्पनी ने अनुशंषा की है, अथवा अधिकृत वाहन डीलर अथवा अधिकृत वर्कशॉप के स्वामी है अथवा वाहन प्रदूषण जांच उपकरण निर्माता कम्पनी के अधिकृत डीलर/एजेन्ट/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्रीधारक बेरोजगार व्यक्ति है ? (यदि हां तो, प्रमाण संलग्न करें)	....
5.	आवेदक के पास उपलब्ध मेक और पूर्ण विशिष्टताओं सहित गैस एनेलाइजर/स्मोक मीटर (प्रिंटर सहित) का विवरण:–	1. .... 2. ....
6.	वाहनों की सर्विस और ट्यूनिंग के लिये उपलब्ध मशीनरी और उपकरण	1. .... 2. ....
7.	वाहनों का वर्ग जिनकी जांच बाबत प्राधिकारी पत्र प्राप्त करने का आवेदन किया जा रहा है (डीजल चलित अथवा पेट्रोल चलित अथवा दोनों प्रकार):–	....
8.	आवेदक के अधीन कार्यरत स्टाफ एवं उसकी योग्यता (प्रमाण–पत्र संलग्न करें):–	
	(क) मैनेजर	....
	(ख) फोरमैन/इंजीनियर	....
	(ग) मैकेनिक	....
	(घ) हैल्पर	....

(ङ) अन्य प्रशासनिक स्टाफ ....

9. क्या आवेदक के मोटर वर्कशॉप मोटर सेवा केन्द्र में निम्न सुविधायें समुचित रूप से है:–

(क) पानी की व्यवस्था ....

(ख) विद्युत व्यवस्था ....

(ग) प्रसाधन व्यवस्था ....

10. क्या 10 से 15 वाहन खड़े करने के लिये उपयुक्त स्थान उपलब्ध है। (रेखा चित्र में भी दर्शायें) ....

11. क्या गैस एनेलाइजर/स्मोक मीटर को चलाने वाला स्टाफ प्रशिक्षित है (विवरण देवें)। ....

आवेदक के हस्ताक्षर एवं
आवेदक का नाम

प्ररूप–2

[देखिये पैरा 3(2), 7(1)]

LETTER OF AUTHORITY

In pursuance of Order No .... Dated .... and subject to the conditions laid down therein the Letter Authority is hereby granted to M/s .... as Pollution Checking Centre to issue Pollution Under Control Certificate for Petrol/Diesel/LNG/CNG Vehicles in accordance with provision under Rule 115(7) of the Central Motor Vehicle Rules, 1989. This Letter of Authority is valid upto ....

He will follow all the conditions laid down here with.

Authorised Officer
(District Transport Officer)

Station code no.
Dated of Issue
(.....................)

Date of Renewal	Receipt No.	Valid upto

शर्तें:–

1. प्रदूषण जांच केन्द्र को मोटर यान अधिनियम, 1988, इसके अधीन बने नियमों तथा परिवहन विभाग के द्वारा जारी मोटर यान प्रदूषण जांच केन्द्र स्कीम–2005 की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

2 प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा यह प्राधिकार पत्र वाहन स्वामियों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून अथवा विभाग के द्वारा जारी मोटर यान प्रदूषण जांच केन्द्र स्कीम–2005 के अधीन केन्द्र के परिसर की जांच करने के लिये अधिकृत जांच/निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध कराया जायेगा।

3. प्रदूषण जांच केन्द्र को प्रदूषण जांच यंत्र क्रय करने की रसीद की फोटो प्रति प्राधिकार पत्र जारी होने के 15 दिन की अवधि में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

4. प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा केवल वही गैस एनेलाइजर/स्मोक मीटर प्रदूषण जांच में प्रयुक्त किये जायेंगे जो मोटर यान नियम, 1989 के नियम 116 के अन्तर्गत अधिकृत संस्था से अनुमोदित हो।

5. प्रदूषण जांच यंत्र के साथ प्रिन्टर का उपयोग आवश्यक रूप से किया जावे। प्रिन्टर से प्राप्त रिपोर्ट में निकलने वाली गैस का रिकार्ड आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिये तथा उस रिकार्ड के आधार पर वाहन में आवश्यक सुधार किये जाने के पश्चात् ही प्रमाण–पत्र एवं स्टीकर जारी किये जावें।

6. प्रदूषण जांच केन्द्र के राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसियेशन द्वारा ही जारी की गयी रसीद बुक, स्टीकर अन्य संबंधित स्टेशनरी प्रयुक्त करेगा।

7. वाहन की जांच के बाद जारी प्रमाण–पत्र के साथ उत्सर्जित गैस का प्रिन्टेड विवरण भी लगाया जायेगा।

8. परिवहन आयुक्त द्वारा निर्देशित किये जाने पर प्राधिकृत जांच केन्द्र को अपने तकनीकी कर्मचारियों को किसी विहित संस्थान में जांच केन्द्र के व्यय पर प्रशिक्षण प्राप्त कराना होगा।

9. प्राधिकृत जांच केन्द्र समय–समय पर वाहन स्वामियों की जानकारी हेतु मोटर यान प्रदूषण से संबंधित वस्तु परख साहित्य उपलब्ध करायेगा।

10. प्राधिकृत जांच केन्द्र के परिसर में मोटर यानों के अन्दर आने और बाहर जाने हेतु समुचित व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि परिसर के आस–पास सार्वजनिक मार्ग पर यातायात अवरूद्ध न हो तथा परिसर के अन्दर वाहनों की प्रदूषण जांच संबंधी जांच क्रमानुसार सुविधापूर्वक सम्पन्न हो सके। प्रदूषण संबंधी जांच सार्वजनिक मार्ग पर न की जाकर प्राधिकृत एजेन्सी के परिसर में ही की जायेगी।

11. प्राधिकृत जांच केन्द्र के गैस एनेलाइजर/स्मोक मीटर तथा अन्य उपकरण सदैव ऐसी स्थिति में रखे जायेंगे कि वे केन्द्रीय मोटर यान नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति करें।

12. यदि किसी समय एग्जास्ट गैस एनेलाइजर/स्मोक मीटर आदि उपकरण केन्द्रीय मोटर यान नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप चालू हालत में न हों तो मोटर यानों की जांच का कार्य निलंबित कर दिया जायेगा और वाहन स्वामियों को प्रमाण–पत्र जारी नहीं किये जायेंगे।

13. एग्जास्ट गैस एनेलाइजर/स्मोक मीटर से जांच का कार्य केवल इस बाबत प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी द्वारा ही किया जायेगा और प्रमाण–पत्र हस्ताक्षर केवल उस अधिकृत व्यक्ति द्वारा किये जायेंगे जिसके नमूने के हस्ताक्षर क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी को पूर्व में ही उपलब्ध कराये जा चुके हों।

14. यदि प्रमाण–पत्र जारी करने के लिये व्यक्ति द्वारा केन्द्र की सेवा से त्यागपत्र दे दिया जाता है अथवा केन्द्र अधिकृत व्यक्ति में परिवर्तन करता है तो तत्काल ही संबंधित प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय में ऐसी सूचना दी जायेगी।

15. प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा प्रमाण–पत्र जारी करने के पूर्व उसमें सभी अपेक्षित प्रविष्टियों को पूर्ण किया जायेगा और कोई अधूरा प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

16. प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा केवल ऐसे वाहनों को जांच के उपरांत प्रमाण–पत्र जारी किये जा सकेंगे जो केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 के प्रावधानों के अनुरूप हो, ऐसे किसी भी वाहन को जो नियम 115 के उपबंधों के अनुरूप न हो, प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

17. प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा प्रमाण–पत्र जारी करने के पूर्व उसका विवरण पृष्ठांकित व राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन से सत्यापित किये हुये रजिस्टर (प्ररूप–3) में संधारित किया जायेगा और रजिस्टर को निरीक्षण हेतु परिसर में सदैव उपलब्ध रखा जायेगा।

18. प्राधिकृत जांच केन्द्र द्वारा प्रमाण–पत्र के विहित प्रारूप से भिन्न प्रारूप पर कोई प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

19. प्राधिकृत जांच केन्द्र वाहन स्वामी से प्रमाण–पत्र जारी करने के लिये राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित फीस की रकम ही वसूली करेगा। प्राप्त की जाने वाली फीस की प्रत्येक रकम की वाहन स्वामी को रसीद दी जायेगी।

20. प्राधिकृत जांच केन्द्र प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 10 दिन के भीतर संबंधित प्राधिकृतअधिकारी कार्यालय को प्ररूप "4" में एक त्रैमासिक विवरण भेजेगा।

21. प्राधिकृत जांच केन्द्र वाहन स्वामियों की शिकायतों एवं उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु एक "शिकायत/सुझाव पुस्तिका" रखेगा जो वाहन स्वामी द्वारा मांग किये जाने पर उसे सुझाव/शिकायत अंकित करने के लिये उपलब्ध करायेगा।

22. प्राधिकृत जांच केन्द्र के द्वारा परिसर के निरीक्षण के लिये प्राधिकृत अधिकारियों को निरीक्षण हेतु सुविधा, आवश्यक अभिलेख एवं सहयोग दिया जायेगा।

23. यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत पत्र निरस्त/निलंबित कर दिया जाता है तो वाहनों को प्रमाण–पत्र जारी करने का कार्य तत्काल बंद कर दिया जायेगा।

24. राज्य सरकार अथवा परिवहन आयुक्त इस आदेश के सुचारू रूप से संचालन की दृष्टि से प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्रों को समय–समय पर आवश्यक निर्देश दे सकेंगे, ऐसे प्रसारित निर्देशों का पालन बंधनकारी होगा।

प्ररूप–3

[देखिये पैरा 9(1)]

प्रदूषण जांच किये गये वाहनों का रजिस्टर जांच हेतु लाये गये वाहनों का विवरण

क्र.सं.	जांच की दिनांक	जांच का समय	प्रकार (दो पहिया/ तीन पहिया/ चार पहिया	रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन का मॉडल या मेक	कार्बन मोनोक्साइड जांच के बाद
1	2	3	4	5	6	7

स्मोक डैन्सिटी स्तर सुधार के बाद	जारी किया गया हो तो प्रमाण–पत्र नम्बर	डुप्लीकेट/टोकन दिया गया हो तो नम्बर	विशेष नम्बर
8	9	10	11

प्ररूप–4

[देखिये पैरा 9(2), 13(1)]

प्रदूषण जांच केन्द्र की त्रैमासिक रिपोर्ट

त्रैमास के लिये रिपोर्ट..

प्राधिकार जांच केन्द्र का नाम..

प्राधिकार जांच केन्द्र का कोड नम्बर..................................

(संख्या में)

प्रदूषण प्रमाण-पत्र जारी किया

वाहन की श्रेणी		कुल जांच किये गये वाहन	प्रथम जांच के बाद	सुधार के बाद	योग	वाहन जिन्हें प्रमाण–पत्र नहीं दिया गया	विशेष विवरण
चार पहिया	पेट्रोल डीजल एल.पी.जी. सी.एन.जी.						
तीन पहिया	पेट्रोल डीजल एल.पी.जी. सी.एन.जी.						
दो पहिया	पेट्रोल डीजल						
	योग						

अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम
मय सील एवं हस्ताक्षर

प्ररूप—5

[देखिये पैरा 14(4)]

अधिकृत व्यक्तियों के नाम एवं नमूने के हस्ताक्षर की सूचना

सेवा में,

प्राधिकृत अधिकारी
(जिला परिवहन अधिकारी)
....

विषय— **प्रदूषण जांच केन्द्र पर अधिकृत व्यक्तियों की सूचना।**

महोदय,

परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(281) परि/पी.डी./भाग—5, दिनांक........................के पैरा 14(3) के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि प्रदूषण जांच केन्द्र........................ (कोड़ नम्बर..................) पर अधिकृत व्यक्तियों के नाम तथा उनके नमूने के हस्ताक्षर निम्न प्रकार हैं:—

1. श्री.. के नमूने के हस्ताक्षर
 (1) .... (2) ....(3) ....
2. श्री.. के नमूने के हस्ताक्षर
 (1) .... (2) ....(3) ....
3. श्री.. के नमूने के हस्ताक्षर
 (1) .... (2) ....(3) ....

स्थान..........................

दिनांक.................200.........

भवदीय,
प्रदूषण जांच केन्द्र स्वामी का नाम
एवं हस्ताक्षर

प्ररूप—6

[देखिये पैरा 17]

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय में प्रदूषण जांच संबंधी प्राधिकृत जांच केन्द्रों का विवरण दर्शाने वाला रजिस्टर

क्र सं.	प्राधिकृत केन्द्र का नाम, पता	प्राधिकृत केन्द्र के स्वामी का नाम	जारी प्राधिकार—पत्र का क्रमांक	प्राधिकार—पत्र जारी करने की दिनांक	प्राधिकार—पत्र की विधि मान्यता	प्राधिकृत केन्द्र निलंबन/निरस्तीकरण नवीनीकरण का विवरण
1	2	3	4	5	6	7

प्ररूप—7

राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन द्वारा प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्रों को जारी स्टेशनरी का विवरण

क्र सं.	प्राधिकृत केन्द्र का नाम, पता	प्राधिकृत केन्द्र के स्वामी का नाम	जारी प्राधिकार–पत्र का क्रमांक	प्राधिकार–पत्र जारी करने की दिनांक	प्राधिकार–पत्र की विधि मान्यता	प्राधिकृत केन्द्र को जारी प्रमाण–पत्र एवं स्टीकर का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7

Pollution Under Control Certificate
FOR PETROL/CNG/LPG/VEHICLES ONLY
[Approved by Department of Transport, No.B/P
Government of Rajasthan, Jaipur

It is certified that the Vehicle No. .... Make conforms the emission level of exhaust to the standards prescribed under Rule 115(2) of Central Motor Vehicles Rules, 1989. This Certificate is valid upto ....

S. No.	Type of Vehicle	Co%	Before Setting	After Setting	*HC PPm	Before Setting	After Setting
1.	2 & 3–Wheelers (2/4 stroke) (Vehicles manufactured on and before 31st March 2000)	4.5			9000		
2.	2&3-Wheelers (2-stroke) (Vehicles manufactured after 31st March 2000)	3.5			6000		
3.	2 & 3–Wheelers (4 stroke) (Vehicles manufactured after 31st March, 2000)	3.5			4500		
4.	Bharat Stage-II Compliant 4 Wheelers	0.5			750		
5.	4–Wheelers other than Bharat Stage–II compliant	3.0			1500		

* The Idling emission standards for vehicles when operating on Compressed Natural Gas (CNG),shall contain Non-Methane Hydrocarbon (NMHC) in place of Hydrocarbon (HC) and shall be estimated by the following formula.

NMHC=0.3 X HC

Where HC = Total hydrocarbon measured as n-Hexane equivalent

Similarly Idling emission standards for vehicles when operating on Liquified

Petroleum Gas. (LPG), shall contain Reactive Hydrocarbon (RHC) in place of Hydrocarbon (HC) and shall be estimated by the following formula.

RHC=0.5 x HC

Where HC= Total hydrocarbon measured as n-Hexane equivalent

Name of the Centre..................

Dealer's Code ....

Testing Fee Charged ....

Pollution under Control Benefits

Date of Testing ....

Signature of Authorised person

1. Increase fuel Efficiency
2. Increase Engine Life
3. Save Environment

(Name With Seal)

(In case of any Complaint, Please write to Transport Commissioner, Govt. of Rajasthan, Sahkar Marg, Jaipur).

Pollution Under Control Certificate
For Diesel Vehicles Only
[Approved by Department of Transport, Government of Rajasthan, Jaipur]

It is certified that the Vehicle No. .... Make .... conforms the emission level of exhaust to the standards prescribed under Rule 115 (2) of Central Motor Vehicles Rules, 1989. This Certificate is valid upto ....

Method of Test	Maximum Smoke Density	Before Setting	After Setting
Free acceleration test for turbo charged Engine and naturally aspirated Engine	65 Hartridge Units 2.45 Light absorption coefficient (l/m)		

Note:– 1. "Mass emission standards for vehicles when operating on Compressed Natural Gas (hereinafter in this rule referred to as "CNG") shall be the same as are applicable for gasoline vehicles with the exception that HC shall be replaced by Non-Mathane hydrocarbon (NMHC)=0.3 X HC"

2. "Mass emission standards for vehicles when operating on Liquified Petroleum Gas (hereinafter in this rule referred to as "LPG") shall be the same as are applicable for gasoline vehicles with the exception that HC shall be replaced by Reactive hydrocarbon (RHC), where RHC=0.5xHC".

Name of the Centre ....

Dealer's code ....

Testing Fee Charged ....

Pollution under Control Benefits

Date of Testing ....

Signature of Authorised Person

1. Increase Fuel Efficiency
2. Increase Engine Life
3. Save Environment

(Name With Seal)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

अधिसूचना सं. न्याय/ग्रुप–2/2005/4753, दिनांक 21.12.2005.– राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.58(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेश्वर सिंह, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर जनहित में ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे के पास दिल्ली रोड पर स्थित बजरी मण्डी की जमीन को मंजिली वाहनों के ठहराव स्थल (स्टेण्ड) के रूप में अधिसूचित करता हूं।

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord. Part-1(Kh), dated 23.12.2005].

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

अधिसूचना सं. न्याय/ग्रुप–2/1043, दिनांक 1.3.2006.– राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 8.1(ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राजवेश्वर सिंह, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर, जयपुर शहर में चांदपोल से रेल्वे स्टेशन, गवर्नमेंट हास्टल चौराहा से चांदपोल एवं वनस्थली मार्ग को भारी वाहनों के लिये नो–पार्किंग (No Parking) जोन घोषित करता हूं एवं चांदपोल से रेलवे स्टेशन के बीच मिनी बस (सिटी बस) व रोडवेज बसों के लिये सिन्धी कैम्प, पोलोविक्ट्री व खासाकोठी तथा गवर्नमेंट हास्टल से चांदपोल के बीच वनस्थली मार्ग तिराहा व सिटी सैन्टर को बस स्टेण्ड/बस स्टाप घोषित करता हूं।

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord. Part-1(Kh), dated 4.3.2006].

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

अधिसूचना सं. न्याय/ग्रुप–2/1326, दिनांक 10.3.2006.– राजस्थान मोटर यान मियम, 1990 के नियम 8.1(ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राजवेश्वर सिंह, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर, जयपुर शहर में निम्न स्थानों पर भार वाहनों के लिये नो–पार्किंग (No Parking) जोन घोषित करता हूं:–

1. ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से आर.ए.सी. कट तक।
2. गुरुद्वारा मोड से मच्छी दरवाजा तक।
3. गणपति प्लाजा से पोलोविक्ट्री तक।
4. आचार्य तुलसीदास मार्ग, गौरव टावर रोड, मालवीया नगर पुलिया से उतरते ही बायीं ओर मकान नं. 95, कल्याण कॉलोनी, सावित्री टावर के मध्य से जाने वाली मुख्य सड़क के दोनों ओर व अंतिम छोर–33/11 के.वी. विद्युत सर्विस स्टेशन, गौरव टावर तक।

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord. Part-1(Kh), dated 13.3.2006].

अधिसूचना सं. प. 9(28) एसटीए/आरटीए/परि./मु./88/II, S.O. 136, दिनांक 6.7.2006– मोटर यान अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम सं. 59 आफ 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त उपधारा के खण्ड (क) से (घ) तक की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 7 (71) (100) परि/नियम/मु./97/पार्ट, दिनांक 6.7.2006 के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण को जारी किये गये निर्देशों की

अनुपालना में राज्य परिवहन प्राधिकरण अनन्यतः नगरपालिका या नगर सुधार न्यास की सीमा में चलने वाली मंजिली गाड़ियों, ऑटो रिक्शाओं व ऑटो तांगाओं के लिये भाड़े की अधिकतम दरें निम्नानुसार नियत करती है:–

वाहन की किस्म	भाड़े की दरें रु. पै.		रोके रखने के लिये प्रभार	सामान के लिये प्रभार
1. मंजिली गाड़ियां	3.00	2 कि.मी. तक		
	4.00	2 कि.मी. से अधिक किन्तु 4 कि.मी. तक		
	5.00	4 कि.मी. से अधिक किन्तु 6 कि.मी. तक		
	6.00	6 कि.मी. से अधिक किन्तु 10 कि.मी. तक		
	7.00	10 कि.मी. से अधिक किन्तु 15 कि.मी. तक		
	9.00	15 कि.मी. से अधिक किन्तु 20 कि.मी. तक		
	10.00	20 कि.मी. से अधिक किन्तु 25 कि.मी. तक		
	12.00	25 कि.मी. से अधिक किन्तु 30 कि.मी. तक		
	14.00	30 कि.मी. से अधिक किन्तु 35 कि.मी. तक		
	16.00	35 कि.मी. से अधिक		
2. ऑटो रिक्शा	10.00 5.50	प्रथम एक कि.मी. तक के लिये न्यूनतम प्रत्येक प्रश्चात्वर्ती कि.मी. के लिये	रोके रखने की संपूर्ण अवधि के लिये 20 पैसे प्रतिमिनिट।	1. 10 कि.ग्रा. तक के किसी भी पैकेज के लिये कोई प्रभार नहीं। 2. 10 कि.ग्रा. से अधिक के पैकेज के लिये 2/– रु. प्रति पैकेज।
3. ऑटो तांगा	12.00 6.50	प्रथम एक कि.मी. तक के लिये न्यूनतम प्रत्येक प्रश्चात्वर्ती कि.मी. के लिये	रोके रखने की संपूर्ण अवधि के लिये 20 पैसे प्रतिमिनिट।	1. 10 कि.ग्रा. तक के किसी भी पैकेज के लिये कोई प्रभार नहीं। 2. 10 कि.ग्रा. से अधिक के पैकेज के लिये 2/– रु. प्रति पैकेज।

नोट– रात्रिकालीन प्रभार– ऑटोरिक्शा व ऑटोतांगा के लिये रात्रि 10.30 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक उपर्युक्त दरों से देय भाड़े के अतिरिक्त उसका 25 प्रतिशत और देय होगा।

अधिसूचना सं. प. 7(60) परि/नियम/मु./85, दिनांक 11.7.2006.– केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 के अन्तर्गत उच्च पदस्थों को ले जाने वाले या उनका अनुसरण करने वाले यानों के उच्च पदस्थों को ले जाने वाले वाहनों पर लालबत्ती एवं नीली बत्ती के उपयोग को अनुज्ञात करने वाली पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये राज्य सरकार उच्च पदस्थों को

ले जाने वाले या उनका अनुसरण करने वाले यानों, गश्ती ड्यूटी में प्रयोग में लिये जाने वाले यानों एवं बैंगनी रंग के कांच से ढके हुये लालबत्ती के उपयोग करने वाले एम्बुलेंस के लिये निम्नानुसार निर्देश जारी करती है:—

1. **यानों पर लालबत्ती के उपयोग के लिये अनुज्ञात उच्च पदस्थ—**

   1. राज्यपाल, राजस्थान।
   2. मुख्यमंत्री, राजस्थान।
   3. मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय।
   4. अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा।
   5. लोकायुक्त, राजस्थान।
   6. मुख्य सूचना आयुक्त।
   7. मंत्रीमण्डल के सदस्यगण, राजस्थान।
   8. मुख्य सचेतक, राजस्थान विधानसभा।
   9. नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभा।
   10. न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय।
   11. राज्य मंत्री/उपमंत्री/सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्री/राज्य मंत्री के स्तर के दर्जे के लिये अधिसूचित उच्च पदस्थगण।
   12. उपाध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा।
   13. उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधानसभा।
   14. मुख्य सचिव, राजस्थान।
   15. अतिरिक्त मुख्य सचिव।
   16. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल।
   17. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग।
   18. एडवोकेटे जनरल, राजस्थान सरकार।
   19. समस्त प्रमुख शासन सचिव।
   20. पुलिस महानिदेशक।
   21. सम्भागीय आयुक्त/रेंज प्रभारी/पुलिस महानिरीक्षक/उप—महानिरीक्षक।
   22. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
   23. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
   24. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, जोधपुर।
   25. नगर निगम, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा के महापौर।
   26. समस्त जिला प्रमुख, राजस्थान।
   27. अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान।

2. **यानों पर नीली बत्ती के उपयोग हेतु अनुज्ञात विभाग और पदाधिकारीगण—**

   1. जिलों में पदस्थापित समस्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
   2. जोधपुर शहर में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (मोबाइल)।
   3. गश्ती ड्यूटी के लिये प्रयोग में लिये जाने वाले पुलिस, आबकारी एवं परिवहन विभाग के वाहनों।

3. **बैंगनी रंग के कांच से ढकी हुई लालबत्ती के उपयोग के लिये अनुज्ञात एम्बुलेन्स यान–**

1. चिकित्सा विभाग के एम्बुलेन्स यान।
2. नागरिक सुरक्षा के लिये एम्बुलेन्स यान।
3. रेडक्रास के एम्बुलेन्स यान।

[1][यदि कोई यान जो ऐसे 'उच्च पदस्थ व्यक्ति को ले जा रहा हो, जो रैंक, प्रास्थिति और प्रसुविधाओं में अधिसूचना के कमांक '1' एवं '2' में निर्दिष्ट उच्च पदस्थ व्यक्तियों के समतुल्य औपचारिक रूप से अभिहित हो, तत्संबंधी प्रसुविधाओं के अनुसार लाल या नीली बत्ती का उपयोग करने का हकदार होगा।

यदि कोई यान जिसके शीर्ष अग्रभाग पर लाल/नीली बत्ती लगी हुई है, उच्च पदस्थ व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा है तो ऐसी लाल/नीली बत्ती का उपयोग नहीं किया जावेगा और उसे आवरण से ढक दिया जायेगा।

यह भी आदिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त के सिवाय कोई भी यान, लाल या नीली बत्ती का उपयोग नहीं करेगा। अनाधिकृत रूप से लाल या नीली बत्ती का उपयोग करते हुये पाये जाने वाले यानों के वाहन चालकों के विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के अन्तर्गत प्रथम अपराध पर रुपये 100/– एवं पश्चात्‌वर्ती अपराध पर रुपये 300/– की प्रशमन राशि वसूल की जायेगी। इसके साथ ही लोक सेवकों/राज्य सेवा के अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से लाल या नीली बत्ती के प्रयोग करते हुये पाये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17/16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु उनके विभागाध्यक्ष को सूचित कर दिया जावेगा।

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord., Pt- I(Kh), dated 11.7.2006].

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना सं. एफ. 9(28) एसटीए-आरटीए/परि/मु./88/II/10690, दिनांक 14.7.2006– मोटर यान अधिनियम, 1988 (59 आफ 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और उक्त उपधारा के खण्ड (क) से (घ) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या सं. एफ. 7(100) परि/नियम/मु./2005, दिनांक 6.7.2006 के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण को जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना में राज्य परिवहन प्राधिकरण अनन्यतः नगरपालिका या नगर सुधार न्यास की सीमा में चलने वाली मंजिली गाड़ियों से भिन्न मंजिली गाड़ियों के लिये राज्य के सभी वर्गों के मार्गों पर यात्री भाड़े की दरें निम्नानुसार नियत करती हैं:–

(1)	साधारण सेवा	46 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(2)	एक्सप्रेस/मेल सेवा	50 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(3)	सेमी डीलक्स सेवा	55 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(4)	डीलक्स सेवा	75 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री
(5)	वातानुकूलित सेवा	125 पैसे प्रति कि.मी. प्रति यात्री

स्पष्टीकरण संख्या–1. यह दरें इस शर्त के अधीन रहते हुये अधिकतम होगी कि वयस्क यात्रियों से 5 कि.मी. की दूरी तक प्रभार्य न्यूनतम यात्री भाड़ा 2/– रु. होगा और बालक यात्रियों के मामले में 1/– रु. होगा।

---

1. अधि.सं.प. 7(60)/परि/नियम/मु./85, दिनांक 25.8.2006 द्वारा जोड़ा गया।

स्पष्टीकरण संख्या—2. "एक्सप्रेस/मेल सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार या यथास्थिति, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से अनुज्ञात ठहरने के स्थान तथा जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एव पंचायत समिति मुख्यालय पर ठहरने के सिवाय कम से कम 40 कि.मी. तक चल चुकने के पूर्व किसी भी स्थान पर नहीं ठहरती। एक्सप्रेस/मेल बसों में गद्दीदार सीटें लगी होंगी।

स्पष्टीकरण संख्या—3.

(क) "सेमी डीलक्स सेवा" से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है जिसमें—

1. मुख्य स्तम्भ केन्द्र 736.6 मि.मी. से अधिक है,
2. सीट फ्रेम विश्रामक किस्म के अच्छे उच्च पृष्ठ वाले हों किन्तु सिर विश्रामक की व्यवस्था नहीं हो। सीट फ्रेम की ऊंचाई सीट ग्रेब रेल सहित 1040 मि.मी. हो,
3. सीट की पृष्ठ से पृष्ठ तक की दूरी 762 मि.मी. हो,
4. विकसित किस्म का रबर फोम पृष्ठ विश्रामक के काम में लिया गया हो,
5. सीट विस्तार प्रति यात्री 406.4 मि.मी. गुणा 406.4 मि.मी. हो।

(ख) "डीलक्स सेवा" से कोई ऐसी एक्सप्रेस सेवा अभिप्रेत है जिसमें—

1. मुख्य स्तम्भ केन्द्र 1435.10 मि.मी. से कम नहीं है,
2. सीट या तो स्थिर, पीछे की ओर झुकावदार हो या समायोजन किस्म की हो,
3. सीट की पृष्ठ से पृष्ठ तक की दूरी 914.44 मि.मी. हो,
4. 8 पंखें, 5 ट्यूब लाइट और न्यूनतम दो एयर वेन्टीलेटर लगे हों,
5. सीट फ्रेम की ऊंचाई 1040 मि.मी. हो,
6. बॉडी सर्वतः अवरोधक (इंसुलेटेड) हो, और
7. सीट विस्तार प्रति यात्री 456 मि.मी. गुणा 456 मि.मी. हो।

स्पष्टीकरण संख्या—4. "यात्री भाड़ा 5 कि.मी. के प्रक्रमों (मंजिल) में संगणित किया जावेगा। इस प्रयोजन के लिये 0.5 कि.मी. से अधिक और 5. कि.मी. तक की दूरी को एक प्रक्रम (मंजिल) गिना जावेगा और 0.5 कि.मी. तक की दूरी को छोड़ दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण संख्या—5. संगणित यात्री भाड़े की राशि 1/— रु. के गुणक में निर्धारित की जावेगी और 49 पैसे या कम की राशि छोड़ दी जायेगी तथा 49 पैसे से अधिक की कोई भी राशि 1/— रु. तक पूर्णांकित की जावेगी।

उदाहरणार्थ—

1.01 रु. से 1.49 रु.	=	1.00 रुपये
1.50 रु. से 1.99 रु.	=	2.00 रुपये

(राकेश श्रीवास्तव)
सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकार,
परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

अधिसूचना सं. न्याय/ग्रुप—2/4845, दिनांक 12.12.2006.— मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 116(1) एवं राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.58(1)(i) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुये मैं, राजेश्वर सिंह, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर सिंधी कैम्प क्षेत्र में निम्नलिखित स्थानों/स्थलों से सार्वजनिक लोक वाहनों के ठहराव तथा सवारियों के चढ़ाने एवं उतारने के प्रयोजन को प्रतिबंधित (Prohibit) करता हूं:--

1. 175, शिव महल, आवासीय भवन, गोविन्दम् पवित्र भोजनालय तथा शिव शंकर ट्रेवल्स, के बीच, स्टेशन रोड, जयपुर।
2. वनस्थली मार्ग पर अर्चना होटल तथा लक्ष्मी पवित्र भोजनालय के मध्य का भूखण्ड।
3. स्टेशन रोड पर होटल सी.एम. रेजीडेन्सी तथा शंकर भोजनालय के बीच का भूखण्ड।

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord. Part-I(Kh), dated 13.12.2006].

परिवहन विभाग

अधिसूचना सं. एफ. 7(71)(100) परि/नियम/मु./97, एस.ओ. 311, दिनांक 11.1.2007– मोटर यान अधिनियम, 1988 (59 आफ 1988) की धारा 67 की उपधारा (1)(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त उपधारा के खण्ड (क) से (घ) तक की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों को एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करती है, अर्थात्–

अतः राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनका कारण अनन्यतः नगरपालिका या नगर सुधार न्यास क्षेत्रों के भीतर चलाये जाने वाले लो–फ्लोर/सेमी लो–फ्लोर एवं वातानुकूल मंजिली वाहनों के भाड़ों की दरों का निर्धारण करना आवश्यक हो गया है।

अतः अब राज्य सरकार यह निर्देश देती है कि राज्य सरकार परिवहन प्राधिकरण एवं समस्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अनन्यतः या नगर सुधार न्याय क्षेत्रों में चलाये जाने वाले लो–फ्लोर/सेमी लो–फ्लोर एवं वातानुकूल मंजिली वाहनों का अधिकतम भड़ा तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार नियत करेगी:-

क्र. सं.	मार्ग दूरी	प्रस्तावित दरें लो-फ्लोर/ सेमी लो-फ्लोर	वातानुकूलित
1.	0–2 कि.मी. तक	4.00	5.00
2.	2 कि.मी. से अधिक किन्तु 4 कि.मी. तक	5.00	8.00
3.	4 कि.मी. से अधिक किन्तु 6 कि.मी. तक	6.00	10.00
4.	6 कि.मी. से अधिक किन्तु 10 कि.मी. तक	7.00	12.00
5.	10. कि.मी. से अधिक किन्तु 15 कि.मी. तक	8.00	16.00
6.	15 कि.मी. से अधिक किन्तु 20 कि.मी. तक	10.00	20.00
7.	20 कि.मी. से अधिक किन्तु 25 कि.मी. तक	13.00	25.00
8.	25 कि.मी. से अधिक किन्तु 30 कि.मी. तक	15.00	30.00
9.	30 कि.मी. से अधिक किन्तु 35 कि.मी. तक	18.00	35.00
10.	35 कि.मी. से अधिक	20.00	40.00

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord. Part-IV(Ga)(II), dated 11.1.2007].

परिवहन विभाग

अधिसूचना सं. एफ. 9(23)एसटीए–परि/नियम/मु./88/II, एस.ओ. 312, दिनांक 11.1.2007– मोटर यान अधिनियम, 1988 (59 आफ 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त उपधारा के खण्ड (क) से (घ) तक की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 7(71)(100) परि/नियम/मु./97, दिनांक 11.1.2007 के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण को जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना में राज्य परिवहन प्राधिकरण, अनन्यतः नगरपालिका या नगर सुधार न्यास की सीमा के चलने वाली लो–फ्लोर/सेमी लो–फ्लोर एवं वातानुकूलित मंजिली वाहनों का भाड़ा नियमानुसार नियत करती है:–

क्र. सं.	मार्ग दूरी	प्रस्तावित दरें लो-फ्लोर/ सेमी लो-फ्लोर	वातानुकूलित
1.	0–2 कि.मी. तक	4.00	5.00
2.	2 कि.मी. से अधिक किन्तु 4 कि.मी. तक	5.00	8.00
3.	4 कि.मी. से अधिक किन्तु 6 कि.मी. तक	6.00	10.00
4.	6 कि.मी. से अधिक किन्तु 10 कि.मी. तक	7.00	12.00
5.	10. कि.मी. से अधिक किन्तु 15 कि.मी. तक	8.00	16.00
6.	15 कि.मी. से अधिक किन्तु 20 कि.मी. तक	10.00	20.00
7.	20 कि.मी. से अधिक किन्तु 25 कि.मी. तक	13.00	25.00
8.	25 कि.मी. से अधिक किन्तु 30 कि.मी. तक	15.00	30.00
9.	30 कि.मी. से अधिक किन्तु 35 कि.मी. तक	18.00	35.00
10.	35 कि.मी. से अधिक	20.00	40.00

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord. Part-IV(Ga)(II), dated 11.1.2007].

TRANSPORT DEPARTMENT

Noti. No. F. 1(38) Pari/Extt./92/2074, dated 24.5.2007.– In exercise of the powers conferred by Section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of this department's notification No. F. 1(38) Pari/Extt./92, dated 27.7.2005, the State Government being of the opinion that it is necessary so to do, hereby constitute all Regional Transport Officers as one member Regional Transport Authority for their respective jurisdictions to exercise and discharge the powers and functions under the said Act.

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord., dated 24.5.2007].

कार्यालय सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जयपुर रीजन जयपुर

अधिसूचना सं. परि/प्राधि/07/5392–5403, दिनांक 9.8.2007.– राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.58(1)(i) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, विजय पाल सिंह, सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जयपुर रीजन, जयपुर निम्नलिखित स्थान/स्थल से सार्वजनिक लोक वाहनों के ठहराव तथा सवारियों के चढ़ाने एवं उतारने के प्रयोजन को प्रतिबंधित (Prohibit) करता

हूः–

1. सांघी मोटर्स/बर्लिंगटन हॉल कैम्परा, होटल कन्ट्री इन के सामने एम.आई.रोड, खासा कोठी सर्किल, जयपुर।

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord. Part- 7(Kh), dated 10.8.2007].

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना सं. एफ. 7(100)(71)परि/मु./97/8248–59, दिनांक 13.8.2007– मोटर यान अधिनियम, 1988 (59 आफ 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त उपधारा के खण्ड (क) से (घ) तक की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये तथा इस संबंध में अनन्यतः नगरपालिका/नगर सुधार न्यास क्षेत्रों में चलाये जाने वाली टैक्सी कैब के अधिकतम भाड़ा निर्धारण से संबंधित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों का एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करती है, अर्थात्–

यतः राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण अनन्यतः जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर एवं अजमेर नगरपालिका या नगर सुधार न्यास क्षेत्रों के भीतर चलायी जाने वाली टैक्सी कैब के भाड़े की दरों का पुनरीक्षण करना आवश्यक हो गया है।

अतः अब राज्य सरकार यह निर्देश देती है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं समस्त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, अनन्यतः नगरपालिका/नगर सुधार न्यास क्षेत्रों में चलाये जाने वाले टैक्सी कैब का अधिकतम भाड़ा तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार नियत करेगीः–

वाहन की किस्म	भाड़े की अधिकतम दरें	रोके रखने का प्रभार
1	2	3
"टैक्सी कैब 1. जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर एवं अजमेर नगरपालिका/नगर सुधार न्यास सीमा के लिये	120.00 रु. प्रथम 6 कि.मी. कि.मी. तक के लिये एवं 13.00 रु. प्रत्येक पश्चात्वर्ती कि.मी. के लिये	40 कि.मी. की दूरी तक 5.00 रु. प्रति घंटा तथा उसके अधिक की दूरी के लिये कोई प्रभार देय नहीं।
2. उक्त खण्ड (1) के अतिरिक्त राज्य की अन्य नगरपालिका/नगर सुधार न्यास सीमा के लिये	8.75 रु. प्रथम एक कि.मी. तक के लिये एवं 5.30 रु. प्रत्येक पश्चातवर्ती कि.मी. के लिये	40 कि.मी. की दूरी तक 5.00 रु. प्रति घंटा तथा उसके अधिक की दूरी के लिये कोई प्रभार देय नहीं

राज्यपाल के आदेश से,
उप शासन सचिव (मु.)

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना सं. एफ. 7(198)परि/नियम/मु./2003/8763, दिनांक 18.8.2007.— राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार पूर्व में जारी अधिसूचना सं. एफ. 7(198) परि/नियम/मु./2003, दिनांक 30.4.2003 में आंशिक संशोधन करते हुये, विभागीय कार्यालय आदेश 27/2007 दिनांक 12.6.2007 जारी होने से पूर्व छोड़े गये विशिष्ट पंजीयन नम्बरों को दुपहिया वाहनों पर आवंटित करने के लिये 1000/– रु. तथा दुपहिया वाहनों से भिन्न वाहनों पर आवंटित करने के लिये 5000/– रु. शुल्क निर्धारित करती है।

(दिनेश कुमार यादव)
उपशासन सचिव (मु.)

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना सं. एफ. 7(100)परि/नियम/2005/3454, दिनांक 16.2.2008.— मोटर यान अधिनियम, 1988 (59 आफ 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और उक्त उपधारा के खण्ड (क) से (घ) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार इस संबंध में पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6.7.2006 में निम्न संशोधन करती है:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण संख्या–1 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात्–

स्पष्टीकरण संख्या–1. "यह दरें इस शर्त के अधीन रहते हुये अधिकतम होगी कि प्रभार्य न्यूनतम भाड़ा वयस्क यात्रियों के मामले में 2/– रु. तथा बालक यात्रियों के मामले में 1/– रु. होगा, किन्तु उपनगरीय मार्गों पर प्रभार्य न्यूनतम भाड़ा वयस्क यात्रियों के मामले में 3/– रुपया तथा बालक यात्रियों के मामले में 2 रुपये होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश कुमार यादव)
उपशासन सचिव (मुख्यालय)

The Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990
(Latest Amendments, Notifications & Orders)

Amendments

● **Noti. No. F. 7(273)/Pari/Rules/H.Q./2007, dt. 1.2.2008, G.S.R. 92.** — Whereas the draft of the Rajasthan Motor Vehicles (IInd Amendment) Rules, 2007, amending the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, in exercise of the powers conferred by Sec. 138 read with Sec. 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) was published as required by sub-sec. (1) of Sec. 212 of the said Act, in the Rajasthan Gazette Extra-ord. Part 3(Kha), dt. 14.8.2007 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected hereby before the expiry of 30 days from the date on which the copies of the said, notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 15.12.2007;

And whereas, no objection and suggestions have been received on the said Draft Rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sec. 138 read with Sec. 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990; namely: —

1. Short title and application. — (1) These rules may be called the **Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2008.**

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette and shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

2. Amendment of Rule 8.8. — In Rule 8.8 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, after the existing sub-rule (1) following new sub-rule (1-A) shall be inserted; namely: —

> "(1-A) For weighment of vehicle at the weighbridge, installed or maintained by or under the order of the State Government, such fee shall be charged as may be specified by the State Government from time to time."

[Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord., Pt. IV-C(I), dt. 1.2.2008.]

● **Noti. No. F. 7(271)/Pari/Rules/H.Q./2007, dt. 4.10.2007, G.S.R. 64.** — Whereas the draft of the Rajasthan Motor Vehicles (IInd Amendment) Rules, 2007, amending the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, in exercise of the powers conferred by Sec. 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) was published as required by sub-sec. (1) of Sec. 212 of the said act, in the Rajasthan

Gazette Extra-ordinary Part 3(Kha), dt. 20.4.2007 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected hereby before the expiry of 30 days from the date on which the copies of the said, notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the public.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 13.7.2007

And whereas, no objection and suggestions have been received on the said Draft Rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sec. 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990; namely:—

1. Short title and application.— (1) These rules may be called the **Rajasthan Motor Vehicles (IInd Amendment) Rules, 2007.**

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette and shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

2. Amendment of Rule 4.26.— The existing Rule 4.26 of the Rajasthan Motor Vehicle Rules, 1990 shall be deleted.

[Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord., Pt. IV-C(I), dt. 4.10.2007.]

● **अधि.सं. एफ. 7(3) परि/रूल्स/एच.क्यू./1995/17833, दिनांक 4.9.2008, जी.एस. आर. 79**— यतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारायें 96, 107 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 को संशोधित करने हेतु राजस्थान मोटरयान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2008 का प्रारूप उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजस्थान राजपत्र में यथा प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जायें, 15 दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक, भाग 3(ख) दिनांक 12.8.2008 में प्रकाशित किया गया था।

और यतः उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 12.8.2008 को उपलब्ध करा दी गयी थी।

और यतः उक्त प्रारूप नियमों पर कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे।

अतः अब मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 96, 107 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिये, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना.— (1) इन नियमों का नाम **राजस्थान मोटरयान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2008** कहलायेगा।

(2) ये राजपत्र में इनके अन्तिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. नियम 5.87 का संशोधन.— राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 5.87 के अन्त में, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्—

"परन्तु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रचलित और एन.सी.टी. दिल्ली और क्षेत्रीय योजना, 2021 के पैरा 2.1 में यथा परिभाषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को गठित करने वाले हरियाणा, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के उप–क्षेत्रों में रजिस्टीकृत, यूरो मानकों

के अनुरूप परिष्कृत (सी.एन.जी.) का उपयोग करने वाले मोटर कैब/टैक्सी और ऑटो रिक्शा के संविदा गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिये कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।"

3. नियम 6.1 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 6.1 में—

(i) विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

(क) ***"प्रबन्ध निदेशक"*** से राज्य परिवहन उपक्रम का प्रबन्ध निदेशक अभिप्रेत है;"

(ii) विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

(ग) ***"राज्य परिवहन उपक्रम"*** से अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (42) में यथा परिभाषित उपक्रम अभिप्रेत है।"

4. नियम 6.3 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 6.3 के उपनियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संबंधित राज्य परिवहन उपक्रम" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(राज. राजपत्र विशेषांक भाग-4-6(1), दिनांक 8.9.2008 पर प्रकाशित)

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.7(229)परि/रूल्स/एच.क्यू./2003/541 जयपुर, दिनांक : 23.08.2010

अधिसूचना

यतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम स. 59) की धारा 65 की उप–धारा (2) और धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 को संशोधित करने के लिये राजस्थान मोटरयान (संशोधन) नियम, 2010 का प्रारूप, उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजस्थान राजपत्र में यथा प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाये, 15 दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक, भाग 3 (ख) दिनांक 30.04.2010 में प्रकाशित किया गया था।

और यतः उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 13.05.2010 को उपलब्ध करा दी गयी थी।

और यतः उक्त प्रारूप नियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59)की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिये, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) इन नियमों का नाम **राजस्थान मोटरयान (संशोधन) नियम, 2010** है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे और इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

2. नियम 4.3 का संशोधन— राजस्थान मोटरयान नियम, 1990, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 4.3 के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "या किसी व्यक्ति को उसके नये यान के लिये उसके पुराने यान को पहले से आवंटित पुराने संख्यांक रखने की," हटायी जायेगी।

3. नियम 12.2 का संशोधन– उक्त नियमों के नियम 12.2 के विद्यमान उप–नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु परिवहन आयुक्त, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पश्चात् प्राभारित फीस की अतिरिक्त रकम के प्रतिदाय के निदेश दे सकेगा।"

राज्यपाल के आदेश से
(मनोज कुमार शर्मा)
शासन उप–सचिव

Government of Rajasthan
Transport Department

No.F(229)/Pari/Rules/HQ/2003/541 **Jaipur,Dated : 25.08.2010**

NOTIFICATION

Whereas the draft of the Rajasthan MotorVehicles (Amendment) Rules, 2010, amending the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 65 and section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) was published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, in the Rajasthan Gazette Extraordinary part 4 (Kha), dated 30.04.2010 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 15 days from the date on which the copies of the said notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the public.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 13.05.2010.

And whereas, no objection & suggestion received on the said Draft Rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, namely: –

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette and shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

2. Amendment of rule 4.3- In poviso to rule 4.3 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, herein after referred to as the said rules, the existing expression "or a person on his new vehicle can retain old number already allotted to his previous vehicle", shall be deleted.

3. Amendment of rule 12.2- After the existing sub-rule (4) of rule 12.2 of the said rules, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the Transport Commissioner may direct refund of excess amount of fee charged after the period specified above."

By Order of the Governor
(Manoj Kumar Sharma)
Dy. Sec. to Government

● **The Rajashan Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2015-Existing table of Rules 2.29, 3.17, 4.28 and 5.87 of the principal Rules, 1990-Substituted.**

Noti. No. F. 7(4)/Pari/Rules/H.Q./11/92/12004, dt. 30.6.2015, S.O. 77.- Whereas the draft of the Rajasthan Motor Vechicles (Amendment) Rules, 2015, amending the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, in exercise of the powers conferred by Secs. 28, 38, 65 and 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) was published as required by sub-sec. (1) of Sec. 212 of the said Act, in, the Rajasthan Gazette Extraordinary part 3 (kh) dt. 15.5.2015 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 15 days from the date on which the copies of the said notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the public.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 15.5.2015.

And whereas, no objection & suggestion received on the said Draft Rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Secs. 28. 38, 65 and 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990. namely:-

1. Short title and commencement.- (l) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Rule 2.29.- The existing table of Rule 2.29 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990 here in after referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

TABLE

S.No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1.	In respect of appeal under Rule 2.5	500/-	2.6
2.	In respect of medical certificate to be charged by the doctor	15/-	2.7
3.	In respect of duplicate lincence in Form 7	200/-	2.9, 2.10, 2.13 and 13.1
4.	In respect of Driver's Badge or duplicate badge	300/-	2.26, 13.1

3. Amendment of Rule 3.17.— The existing table of Rule 3.17 of the said rules shall be substituted by the following, namely:—

TABLE

S.No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1.	In respect of appeal under Rule 3.8	500/-	3.8
2.	In respect of duplicate conductor's lincence	300/-	3.11, 3.12, 3.13 and 13.2
3.	In respect of Conductor's badge & duplicate badge	300/-	3.15 and 13.2
4.	In respect of counter signature of conductor's licence	200/-	3.16

4. Amendment of Rule 4.28.— The existing table of Rule 4.28 of the said rules shall be substituted by the following, namely:—

TABLE

S.No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1.	For temporary registration each month (a) For Transport Vehicle (b) For Non-transport Vehicle	 500/- 200/-	4.2
2.	For subsequent inspection in case of refusal of grant or renewal of fitness certificate for all types of vehicles	100/-	4.24
3.	For duplicate certificate of fitness	100/-	4.25

5. Amendment of Rule 5.87.— The existing table of Rule 5.87 of the said rules shall be substituted by the following, namely:—

TABLE

S.No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1.	For application to grant/renewal/ counter signature of permit (other than temporary permit and 5.28		5.5., 5.27

	(i) Two seater Auto rickshaw (ii) Educationa Institution Bus/Mini bus/ Tepo/Vikram/Auto tonga (iii) Stage Carriage, Contract Carriage:– (a) For interstitial permit (b) Other than interstatal permit (iv) Motor cab/Maxi cab/Public Carrier or Private Carrier	100/- 250/- 1500/- 750/- 300/-	
2.	For grant and renewal of a permit (other than temporary permit):- (i) Stage Carriage, Public Carrier, Private Carrier, Contract Carriage excluding Mini bus (ii) Educational Institution Bus/Mini bus/ Motor cab/Maxi cab (iii) Auto Tonga/Auto Rickshaw/Vikram/ Tempo	 1500/- 1000/- 500/-	5.9, 5.27 and 5.28
3.	For grant of Temporary permit or counter-signature for 30 days or part thereof	200/-	5.5
4.	For counter-signature of a Non-temporary permit or its renewal- (i) For heavy Transport Vehicles (ii) Medium Transport Vehicles (iii) Light Transport Vehicles	 1500/- 1000/- 500/-	5.58
5.	Fee for transfer of permit otherwise than by inheritance or succession- (i) Stage Carriage (ii) Public Carrier and Contract Carriages other than Motor cab, Maxi cab, Tempo, Vikram and Auto rickshaw (iii) Contract Carriage (Mini bus, Tempo, Vikram, Motor cab, Maxi cab) (iv) Auto Rickshaw & Auto Tonga	 3000/- 1500/- 1000/- 500/-	5.36
6.	(i) Fee for appeal in STAT against the order of STA (ii) Fee for appeal against the order of RTA (iii) Fee for revision of order os STA/RTA	500/- 500/- 500/-	5.44
7.	Fee for duplicate copy of a permit- (I) Part A each copy:- (a) Stage Carriage, Contract Carriage- (i) For mutilated/defaced (ii) In the case of lost/theft	 200/- 1000/-	5.28

	(b) Motor Cab/Maxi Cab/Tempo/ Vikram/Mini bus/Auto Tonga/ Auto Rickshaw/Public Carrier or Private Carrier	200/-	
	(II) Part B each copy—		
	(a) Stage Carriage, Contract Carriage-		
	(i) For mutilated/defaced	200/-	
	(ii) In the case of lost/theft	1000/-	
	(b) Motor Cab/Maxi Cab/Tempo/ Vikram/Mini bus/Auto Tonga/ Auto Rickshaw/Public Carrier or Private Carrier	200/-	
	(III) Temporary permit each copy	200/-	
	(IV) Authorization each copy	200/-	
8.	Agents Licence:-		5.73(3) & 5.77
	(i) Application fee	5000/-	
	(ii) For grant of Licence	1000/-	
	For grant of supplementary licence of each additional establishment	1000/-	
	(iii) For renewal of licence if the application is made in time:-		5.78
	(a) Principal licence	1000/-	
	(b) For each supplementary licence	1000/-	
	(iv) For renewal of licence if the application is made late:-		5.78
	(a) Principal licence	1500/-	
	(b) For each supplementary licence	1500/-	
	(v) For issue of duplicate copy of—		5.84
	(a) Principal licence	1000/-	
	(b) For each supplementary licence	1000/-	
	(vi) For appeal against the order of Licensing Authority	500/-	5.85
9.	Application fee for the cancellation of permit		5.35(3)
	(i) For Two seater/Auto Rickshaw	100/-	
	(ii) For Mini Bus/Tempo/Vikram/Auto-Tonga	250/-	
	(iii) For Stage Carriage/Contract Carriage		
	(a) For interstatal permit	1000/-	
	(b) For Other than interstatal permit	500/-	
	(iv) For Motor Cab/Maxi Cab/Public Carrier/Private Carrier	300/-	

10.	Application fee for each amendment in already issued time table of a Stage Carriage vehicle, if applied by permit holder.	1000/-	5.39

[Pub. in Raj. Gaz., Ex.-Ord., Pt. 4(C)(II), dt. 1.7.2015]

● **The Rajasthan Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2015—In the principal Rules, 1990—Clause (m) & (u) of Rule 1.2 (1); Rule 7.14 A (1); Form R.S. 5.9 and Form R.S. 5.11—Substituted—Sub-rule (1A) in Rule 4.18—Inserted—Rule 5.19 (A)—Renumbered as Rule 5.19-Clause (V) to (XXIII) in Rule 5.19 (1) and Clauses (IV) to (XI) in Rule 5.19 (2)—Added—Rule 7.14 B—Deleted.**

Noti. No. F. 7(3) Pari/Rules/H.Q./2005/IV/16885, dt. 31.08.2015, G.S.R. 82.- Whereas the draft of the Rajasthan Motor Vehicles (Third Draft Amendment) Rules. 2015, amending the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990. in exercise of the powers conferred by Sees. 65, 96, 111 & 213 of Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988). was published as required by sub-sec. (1) of Sec. 212 of the said Act in the Rajasthan Gazette Extra-ordinary part 3 (Kha) dt. 1.7.2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 15 days from the date on which the copies of the said notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the public.

And whereas, copies of the said Notification were made available to the public on 7.7.2015.

And whereas, the objections and suggestions received on the said draft rules have been considered.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sees. 65. 96, 111 & 213 of Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No 59 of 1988). the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, namely:-

1. Short title and commencement.- (I) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Rule 1.2.- In sub-rule (1) of Rule 1.2 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules. 1990, herein after referred to as the said rules,—

(i) the existing clause (m) shall be substituted by the following, namely:—

"(m) ***"Secrectory of the State Transport Authority"*** means any Additional Transport Commissioner, posted at head office of Transport Department, appointed by the Government to perform the functions and duties of the Secretary of the State Transport Authority;"

(ii) the existing clause (u) shall be substituted by the following. namely:-

"(U) ***"Sub-Urban Route"*** means any route which starts from a city or, town and declared as Sub-urban route by the State Government in the public interest."

3. Amendment of Rule 4.18.- In Rule 4.18 of the said rules, after the existing sub- rule (1) and before the existing sub-rule (2) the following new sub-rule (IA) shall be inserted, namely: –

"(IA) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Transport Commissioner may direct to any vehicle or class of vehicles to obtain the certificate under Sec. 56 from any authority, person or approved testing station."

4. Amendment of Rule 519(A).- The existing Rule 5.19(A) of the said rules shall be renumbered as "5.19".

5. Amendment of Rule 5.19.- In Rule 5.19, so renumbered, of the said rules,-

(i) in sub-rule (1) after the existing clause (iv), following clauses shall be added, namely:-

"(V) that the permits shall be subject to the provisions/conditions/as laid down in the Act and rules made there under and also subject to the conditions/directions laid down by the State Transport Authority/Regional Transport Authority, Rajasthan from time to time. Further terms and conditions of specific schemes shall be the additional conditions for the permit granted under the particular scheme;

(VI) while the vehicles on road shall not have any person of the permit holder other than the Driver and Conductor and no person including the conductor shall be on the stairs of a bus or stretching his hand outside the door of the vehicle;

(VII) the driver and conductor to be deployed, shall bear high moral character and shall be courteous and polite to the commuters;

(VIII) the driver/conductor to be deployed in a stage carriages may be required to undergo the test and training as specified by the Transport Commissioner;

(IX) the driver/conductor shall not be appointed or changed without prior intimation to the State Transport Authority/Regional Transport Authority;

(X) the fare shall be charged from passengers at the rates approved by the State Government and tickets shall be issued to the passengers for the fare paid. The tickets so issued shall bear bus number, route, the fare actually charged from the passengers and place of boarding and place of destination of passengers. However that the tickets shall be issued by way of *e-ticketing*. If required by the State Transport Authority/Regional Transport Authority by any vehicle, class of vehicle of stage carriages;

(XI) passengers shall not be carried in excess of the registered seating and standing capacity of the bus;

(XII) not more than 15 kgs of luggage and personal effects for each passenger shall be carried in any stage in the bus free of cost;

(XIII) it shall be ensured that goods shall be of such a nature and shall be so packed and secured on the bus as no danger, inconvenience or discomfort is caused to the passengers;

(XIV) the buses with stage carriage permits shall not be utilized for any other purpose except with the prior approval of the State Transport Authority;

(XV) all statutory obligations under labour laws and any enactments for behalf or employees of the operator shall be scrupulously observed by the permit holder;

(XVI) that the crew (driver and conductor) wherever applicable shall assist and extend all possible help to disabled persons trying to board in and out of bus. Further, in case driver or conductor fails to stop the bus to allow a disabled person to board at the designated bus stop or fails/refuses to assist the disabled person(s) to board the bus, they shall liable for action under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 and permit may be suspended or cancelled by the State Transport Authority;

(XVII) Global Positioning System (GPS) of the specifications as specified by the Transport Commissioner shall be installed in such vehicles, on such date and in a manner as directed by Transport Commissioner. It shall be ensured by the owner of the stage càrriage that the GPS thus installed, is kept in working condition at all time;

(XVIII) in case an incident of incident behavior, molestation or eve teasing etc. against any woman takes place in any bus which tantamount to outraging her modesty, it shall be the duty of the crew of the bus (i.e. driver and conductor) to inform the police immediately and take the bus to the nearest police station/police post/PCR van and hand over the culprit to the police;

(XIX) the vehicle shall not be fitted with curtains or glasses having films further. In case of the tinted glasses of windscreen, rear window and side windows provided by the manufacturer they shall be maintained in such conditions as prescribed under sub-Rule (2) of Rule 100 of the Central Motor Vehicles Rules. 1989 and judgment of the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 265 of 2011 dt. 27.4.2012;

(XX) the vehicle shall have sufficient internal white lighting. Activities inside the vehicle should be visible from outside whenever the vehicle is playing on road during the day or night;

(XXI) details of the driver and conductor (i.e. name, address, license number, badge number) and telephone/mobile number of the owner of the vehicle, transport and police helpline number and registration number of the vehicle shall be displayed at a conspicuous place inside the vehicle in contrast colour, so as to be clearly visible to all passengers in the vehicle;

(XXII) all off duty vehicles shall be parked with the owners and not with the driver or other staff members; and

(XXIII) the permit holder shall ensure that his/her vehicle has at least twenty five percent seats reserved for women, two seats reserved for senior citizens/disabled persons on the conductor side towards front gate. The seats reserved so shall also be marked accordingly. The conductor of the vehicle shall ensure the occupancy of these seats by the above said reserved passengers."

(ii) in sub-rule (2) after the existing clause (iii), the following new clauses that shall be added, namely:-

(IV) that the permits shall be subject to the provisions/conditions as laid down in the Act and rules made there under and also subject to the conditions/directions laid down by the State Transport Authority/Regional Transport Authority, Rajasthan from time to time. Further, terms and conditions of specific schemes shall be the additional conditions for the permit granted under the particular scheme;

(V) that the crew (driver and conductor) wherever applicable shall assist and extend all possible help to disabled persons trying to board in and out of bus. Further, in case driver or conductor fails to stop the bus to allow a disabled person to board at the designated bus stop or fails/refuses to assist the disabled person(s) to board the bus, they shall liable for action under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 and permit may be suspended or cancelled by the State Transport Authority;

(VI) in case an incident of indecent behavior, molestation or eve testing etc. against any woman takes place in any bus which tantamount to outranging her modesty, it shall be the duty of the crew of the bus (i.e. driver and conductor) to inform the police immediately and take the bus to the nearest police station/police post/PCR van and hand over the culprit to the police;

(VII) Global Positioning System (GPS) of the specification as specified by the Transport Commissioner shall be installed in such vehicles, on such date and in a manner as directed by Transport Commissioner. It shall be ensured by the owner of the contract carriage that the GPS thus installed, is kept in working condition at all time;

(VIII) the vehicle shall not be fitted with curtains or glasses having films further. In case of the tinted glasses of windscreen, rear window and side windows provided by the manufacturer they shall be maintained in such conditions as prescribed under sub-rule (2) of Rule 100 of the Central Motor Vehicles Rules. 1989 and judgment of the hon'able Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 265 of 2011 dt 27.4.2012;

(IX) the vehicle shall have sufficient internal white lighting. Activities inside the vehicle should be visible from outside whenever the vehicle is plying on road during the day or night;

(X) details of the driver and conductor (i.e. name, address, license number, badge number) and telephone/mobile number of the owner of the vehicle transport and police helpline number and registration number of the vehicle shall be displayed at a conspicuous place inside the vehicle in contrast colour, so as to be clearly visible to all passengers in the vehicle; and

(XI) all of duty vehicles shall be parked with the owners and not with the drivers or other staff members.

6. Amendment of Rule 7.14A.- The existing sub-rule (1) of Rule 7.14 A of the said rules shall be substituted by the following namely:-

"(1) Sleeper Coach shall mean a Motor Vehicle designed or constructed to provide facility to either sleep or sleep and sit having two tier, arrangement with berth necessarily on the upper tier shall have lx1 or 2x1 berth arrangement. The lower tier may have either of the following arrangements:-

(I) Having birth arrangement of lxl or 2x1 berth along the chassis.

(II) Having seating arrangement of 2x2 or lx1 seats across the chassis.

(III) Any other arrangement subject to approval by State Transport Authority."

7. Deletion of Rule 7.14-B.- The existing Rule 7.14.B of the said rules shall be deleted.

8. Substitution of FORM R.S. 5.9.- The existing from R.S. 5.9 appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

FORM R.S. 5.9

(See Rule 5.9(1)[i])

Permit in respect of a particular Stage Carriage

PART-A

I

(Full Permit to be kept by the holder)

OFFICE OF THE STATE TRANSPORT AUTHORITY...

Permit No. (R.S. 5.9)..Date ....

1. Full Name ....

2. Father's Name (in case of individual) ....

3. Address ....

4. Registration Mark ....

5. Registration Mark of Reserve vehicle (if any) ....

6. The Vehicle is held under a hire purchase agreement with ....

7. Seating Capacity .... in all ....

8. Route/Routes/Area for vehicle permit is valid ....

9. Permit is valid up to ....Date of expiry ....

10. Under the provision of rules .... this permit is also in the regions and subject to the conditions set out before.

Regions	Route/Area	Conditions

II

The following are the mandatory conditions to this permit—

(a) that the vehicle to which the permit relates carries valid certificates of fitness issued under Sec. 56 and is at all times so maintained as to comply with the requirements of this Act and rules made thereunder,

(b) that the vehicle to which the permit relates is not driven at a speed exceeding the speed permitted under this Act;

(c) that any prohibition or restriction imposed and any fares or freight fixed by notification made under Sec. 67 are observed in connection with the vehicle to which the permit relates;

(d) that the vehicle to which the permit relates is not driven contravention of the provisions of Sec. 5. or Sec. 113;

(e) that the provisions of this Act limiting the hours of work of drivers are observed in connection with any vehicle or vehicles to which the permit relates;

(f) that the provisions of Chapters X. XI and XII so far as they apply to the holder of the permit are observed;

(g) that the name and address of the operator shall be painted or otherwise firmly fixed to every vehicle to which the permit relates on the exterior of the body of that vehicle on both sides thereof in a colour or colour vividly contrasting to the colour of the vehicle centered as high as practicable below the window line in bold letters;

(h) that there shall be exhibited on the vehicle adequate particulars indicating to the public Place to which and the route by which the vehicle is proceeding;

(i) that its holder shall not use the Stage Carriage in public place for the purpose of, carrying or intending to carry passenger unless it carries in addition to the Driver and Conductor;

(j) that the vehicle shall be regularly operated on the entire specified routes in each journey in accordance with the approved time table except when prevented by accident, temporary unmoterability of route or any unavoidable cause due to natural calamity;

(k) that if the Regional Transport Authority require the holder of Stage Carriage permit that the Stage Carriage or service of stage carriages in respect of which the permit is granted shall carry mails at such rates as the Authority may in consultation with the postal authorities, fixed in that behalf from time to time;

(l) that the permit holders shall pay Taxes regularly which are payable under the Rajasthan Motor Vehicle Taxation Act, 1951 and rules made there under and also shall maintain all records as prescribed under the Motor Vehicle Act. 1988 and rules made there under;

(m) that the complaint book shall be kept in the Stage Carriage and be made available on demand by the passenger travelling in the Stage Carriage;

(n) that a first aid box shall be kept in the Stage Carriage for use of passengers travelling in case of accident and emergency;

(o) that copies of the time table of the Stage Carriage approved by the Regional Transport Authority shall be exhibited on the vehicles and at specified stands and halts on the route or within the area;

(p) that fares shall be charged is accordance with the approved fare table;

(q) that a copy of or extract from the fare table approved by the Regional Transport Authority and particulars of any special fares or rates of fare so approved for particular occasions shall be exhibited on the Stage Carriage and at specified stands and halts;

(r) that the holder of a permit shall furnish to the Regional Transport Authority, such periodical returns, statistics and other information as the State Government may from time to time prescribe;

(s) the permit holder shall ensure that his/her vehicle has at least twenty five percent seats reserved for women, two seats reserved for senior Citizens/disabled persons on the conductor side towards front gate. The seats reserved so shall also be marked accordingly. The conductor of the vehicle shall ensure the occupancy of these seats by the above said reserved passengers;

(t) that the permits shall be subject to the provisional conditions/as laid down in the Act and rules made there under and also subject to the conditions/directions laid down by the State Transport Authority/ Regional Transport Authority, Rajasthan from time to time. Further, terms and conditions of specific schemes shall be the additional conditions for the permit granted under the particular scheme;

(u) while the vehicles on road shall not have any person of the permit holder other than the Driver and Conductor and no person including the conductor shall be on the stairs of a bus or stretching his hand outside the door of the vehicle;

(v) the driver and conductor to be deployed, shall bear high moral character and shall be courteous and polite to the commuters;

(w) the driver/conductor to be deployed in a stage carriages may be required to undergo the test and training as specified by the Transport Commissioner;

(x) the driver/conductor shall not be appointed or changed without prior intimation to the State Transport Authority/Regional Transport Authority:

(y) the fare-shall be charged from passengers at the rates approved by the State Government and tickets shall be issued to the passengers for the fare paid. The tickets so issued shall bear bus number, route and the fare actually charged from the passengers and Place of boarding and place of destination of passengers. However that the tickets shall be issued by way of e-ticketing, if required by the State Transport Authority/ Regional Transport Authority by any vehicle, class of vehicle of stage carriages;

(z) passengers shall not be carried in excess of the registered seating and standing capacity of the bus;

(aa) not more than 15 kg. of luggage and personal effects for each passengers shall be carried in any stage in the bus free of cost;

(ab) it shall be ensured that goods shall be of such a nature and shall be so packed and secured on the bus as no danger, inconvenience or discomfort is caused to the passengers;

(ac) the buses with stage carriage permits shall not be utilized for any other purpose except with the prior approval of the State Transport Authority;

(ad) all statutory obligations under labour laws and any enactments for benefits or employees of the operator shall be scrupulously observed by the permit holder;

(ae) that the crew (driver and conductor) wherever applicable shall assist and extend all possible help to disabled persons trying to board in and out of bus. Further, in case driver or conductor fails to stop the bus to allow a disabled person to beard at the designated bus stop or fails/ refuses to assist the disabled person (s) to board the bus, they shall liable for auction under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities. Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 and permit may be suspended or cancelled by the State Transport Authority;

(af) Global Positioning System (GPS) of the specifications as specified by the Transport Commissioner shall be installed in such vehicles, on such date and in a manner as directed by Transport Commissioner. It shall be ensured by the owner of the stage carriage that the GPS thus installed, is kept in working condition at all time;

(ag) in case an incident of indecent behavior, molestation or eve testing etc against any woman takes place in any bus which tantamount to outgoing her modesty. it shall be duty of the crew of the bus (i.e. driver and conductor) to inform the police immediately and take the bus to the nearest police station/police post/PCR van and hand over the culprit to the police;

(ah) the vehicle shall not be filled with curtains or glasses having films further. In case of the tinted glasses of widescreen. rear window and side windows provided by the manufacturer they shall be maintained in such conditions, as prescribed under sub- rule (2) of Rule 100 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and judgment of the Hon'ble Supreme Court in Writ petition (Civil) No. 265 of 2011 dt. 27.4.2012;

(ai) the vehicle shall have sufficient internal white lighting activities inside the vehicle should be visible from outside whenever the vehicle is plying on road during the day or night;

(aj) details of the driver and conductor (i.e. name, address, license number, badge number) and telephone/mobile number of the owner of the vehicle, transport and police helpline number and registration number of the vehicle shall be displayed at a conspicuous place inside the vehicle in contrast colour, so as to be clearly visible to all passengers in the vehicle;

(ak) all off duty vehicles shall be parked with the owners and not with the drivers or other staff members;

(al) the permit holder shall ensure that his/her vehicle has at least twenty five percent seats reserved for women, two seats reserved for senior citizen/disabled persons on the conductor side towards front gate. The seats reserved so shall also be marked accordingly. The conductor of the vehicle shall ensure the occupancy of these seats by the above said reserved passengers; and

(am) that the regional transport authority may. after giving notice of not less than one month:—

a) Vary the conditions of the permit

b) Attach to the permit further conditions.

Date:....................

Secretary/Executive Officer
..................Transport Authority

RENEWALS

This permit is hereby renewed upto ....the day of ....subject to the following conditions...........................

It is effective upto the date above written and subject to any conditions attached to the previous counter signature in the following regions ....

Dated........................

Secretary/Executive Officer
.............Transport Authority

COUNTER SIGNATURE

Counter signed as required by Sec. 88 of the Motor Vehicles Act. 1988 for route area.................... subject to the following variation of conditions.

Dated.............

Secretary/Executive Officer
.............Transport Authority

Renewal of Counter Signature

The above counter signature is hereby renewed up to the .... day of .... subject to the following variation of conditions:- ....

Dated ....

Secretary/Executive Officer
.... Transport Authority

FORM R.S. 5.9
PART-B

Permit in respect of a particular State Carriage

Summary to be carried on the vehicle

OFFICE OF THE STATE/REGIONAL TRANSPORT AUTHORITY....................

Permit No. (R.S. 5.9).........................

1. Name of the holder and address ....
2. Vehicle Registration Mark ....
3. Route ....
4. Date of expiry ....

Date ....

Secretary/Executive Officer
............................Transport Authority

RENEWAL

Renewed............................upto 20............................

Secretary/Executive Officer
............................Transport Authority

COUNTER SIGNATURE

............................Transport Authority

Permit No. (R.S. 5.9)............................

Counter Signed............................

Secretary/Executive Officer
............................Transport Authority

Renewal of Counter Signature

The counter signature is hereby renewed up to ....day. 20 ....

Dated ....

Secretary/Executive Officer
............................Transport Authority

9. Substitution of FORM R.S. 5.11.- The existing form R.S. 5.11 appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

FORM RS. 5.11

[See Rule 5.9(1)(iii)]

PERMIT IN RESPECT OF A PARTICULAR CONTRACT CARRIAGE OFFICE OF STATE/REGIONAL TRANSPORT AUTHORITY

Permit No. 5.11 (.............)

PART-A

I

1. Name of holder ....
2. Father's Name (in case of individual) ....
3. Address ....
4. Registration mark ....
5. Registration Mark or Reserve Vehicle (if any) ....
6. The Vehicle is held under a hire purchase agreement with ....
7. Seating Capacity .... in all ....
8. Route / Area for which permit is valid ....
9. Permit is valid upto .... Date of expiry ....
10. Under the provisions of rule .... this permit is valid also in the regions and subject to the conditions set out before:-

Regions	Route/Area	Conditions

II

The following are the mandatory conditions to this permit—

(a) that the vehicle to which the permit relates carries valid certificates of fitness issued under Sec. 56 and is at all times so maintained as to comply with the requirements of this Act and rules made there under.

(b) that the vehicle to which the permit relates is not driven at a speed exceeding the speed permitted under this Act;

(c) that any prohibition or restriction imposed and any fares or freight fixed by notification made under Sec. 67 are observed in connection with the vehicle to which the permit relates;

(d) that the vehicle to which the permit relates is not driven contravention of the provisions of Sec. 5 or Sec. 113;

(e) that the provisions of this Act limiting the hours of work of drivers are observed in connection with any vehicle or vehicles to which the permit relates;

(f) that the provisions of Chapters X XI and XII so far as they apply to the holder of the permit are observed;

(g) that the name and address of the operator shall be painted or otherwise firmly fixed to every vehicle to which the permit relates on the exterior of the body of that vehicle on both sides thereof in a colour or colour vividly contrasting to the colour of the vehicle centered as high as practicable below the window line in bold letters;

(h) that the vehicle shall not be driven in a public place except by the permit holder or a licensed driver holding the authorization to drive the public service vehicle and duly authorized by the permit holder in writing and which shall be carried by the driver when driving and produce on demand by any police officer or the officer of the Motor Vehicle Department not below the rank of Motor Vehicle Sub-Inspector:

(i) that the number of persons to be carried in the vehicle shall not exceed the number of which are specified in the registration certificate;

(j) that in case of contract carriage having seating capacity more than 12 in all, the vehicle shall carry a list of passengers travelling following form in respect of each trip and such list shall be produced before the officer of the Transport Department not below the rank of Motor 'vehicle Sub-Inspector.

LIST OF PASSENGERS

Motor Vehicle No...

Date ....20........................Time of Departure...

From.........................

S.No.	Name of Address	Father's/husband Name passanger	Age

(k) that, in the case of motor cabs, specified forms or rates of fares shall be charged and a copy of the fare table shall be exhibited on the vehicle.

(l) that, in the case of vehicles other than motor cabs, specified rates of hiring not exceeding specified maximum shall be charged:

(m) that in the case of motor cabs, a specified weight of passenger's luggage shall be carried free of charge, and that the charge, if any, for any luggage in excess thereof shall be at a specified rate:

(n) that, in the case of motor cabs, a taximeter shall be fitted and maintained in proper working order, if prescribed;

(o) that the permit holders shall pay Taxes regularly which are payable under the Rajasthan Motor Vehicle Taxation Act. 1951 and rules made there under and also shall maintain all records as prescribed under the Motor Vehicle Act. 1988 and rules made there under,

(p) that a first aid box shall be kept in the Contract Carriage (except motor cab) for use of passengers in case of accident and emergency.

(q) that the permits shall be subject to the provisions/conditions/as laid down in the Act and rules made there under and also subject to the conditions/directions laid down by the State Transport Authority/

Regional Transport Authority, Rajasthan from time to time. Further terms and conditions of specific schemes shall be the additional conditions for the permit granted under the particular scheme :

(r) that the crew (driver and conductor) wherever applicable shall assist and extend all possible help to disabled persons trying to board in and out of bus. Further, in case driver or conductor fails to stop the bus to allow a disabled person to board at the designated bus stop or fails/refuses to assist the disabled person(s) to board the bus, they shall liable for actions under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act. 1995 and permit may be suspended or cancelled by The State Transport Authority:

(s) in case an incident of indecent behavior. molestation or eve teasing etc. against any woman takes place in any bus which tantamount to outraging her modesty, it shall be the duty of the crew of the bus (i.e. driver and conductor) to inform the police immediately and take the bus to the nearest police station/police post/PCR van and hand over the culprit to the police:

(t) Global Positioning System (GPS) of the specifications as specified by the Transport Commissioner shall be installed in such vehicles, on such date and in a manner as directed by Transport Commissioner. It shall be ensured by the owner of the contract carriage that the GPS thus installed, is kept in working condition at all time:

(u) the vehicle shall not be fitted with curtains or glasses having films. further. In case of the tinted glasses o windscreen, rear window and side windows provided by the manufacturer they shall be maintained in such conditions as prescribed. under sub- rule (2) of Rule 100 of the Central Motor Vehicles Rules. 1989 and judgment of the Hon'ble Supreme Court in Writ. Petition (Civil) No. 265 of 2011 dt. 27.4.2012;

(v) the vehicle shall have sufficient internal white lighting. Activities inside the vehicle should be visible from outside whenever the vehicle is plying on road during the day or night;

(w) details of the driver and conductor (i.e. name, address, license number, badge number) and telephone/mobile number of the owner of the vehicle, transport and police helpline number and registration number of the vehicle shall be displayed at a conspicuous place inside the vehicle in contrast colour, so as to be clearly visible to all passengers in the vehicle;

(x) all off duty vehicles shall be parked with the owners and not with the drivers, or other staff members;

(y) that the Regional Transport Authority may. after giving notice of not less than one month.-

a) Vary the conditions of the permit;

b) Attach to the permit further conditions.

Date........ ....

Secretary / Executive Officer

.............................Transport Authority

RENEWAL

This permit is hereby renewed upto the ....day of .... subject to the following conditions:..............................

It is effective upto the date above written and subject to any conditions attached to the previous counter signature in the following regions................

Dated ....

Secretary/Executive Officer
..............................Transport Authority

COUNTER SIGNATURE

..............................Transport Authority ....

Counter signed for route/area subject to the following variation of conditions..............................

Dated ....

Secretary/Executive Officer
..............................Transport Authority

RENEWAL OF COUNTER SIGNATURE

The above counter signature is hereby renewed up to ....the ....day of 20..........subject to the following variation of conditions ....

Dated ....

Secretary/Executive Officer
.......................Transport Authority

FORM RS. 5.11

PERMIT IN RESPECT OF A PARTICULAR STATE CARRIAGE OFFICE OF THE STATE/REGIONAL TRANSPORT AUTHORITY

PART-B

Name of particular contract carriage permit No............. (R.S. 5.11).......................

1. Name of the holder ....
2. Registration Mark ....
3. Route/Area ....
4. Date of expiry ....
5. Condition (enclosed)....................

Date ....20...........

Secretary/Executive Officer
............................Transport Authority

RENEWAL

Renewed............................upto 20............................

Date ....20...........

Secretary/Executive Officer
............................Transport Authority

COUNTER SIGNATURE

..........................Transport Authority

No. (R.S. 5.11)..........................

Counter Signed..
Subject to..
Date ....20..........

Secretary/Executive Officer
..........................Transport Authority

Renewal of Counter Signature

Counter signature renewed up to ....20 ....
Date ....20..........

Secretary/Executive Officer
..........................Transport Authority

[Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord., Pt. 4(C)(II), dt. 1.9.2015]

Notifications & Orders

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प7(198)परि/नियम/मु/2006/पार्ट-प्रथम/58990 **जयपुर, दिनांक : 01.10.2014**

अधिसूचना

राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 4.3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विभागीय अधिसूचना क्रमांक : प 7(198)परि/नियम/मु/2006/पार्ट–I दिनांक 31 जनवरी, 2003 को अधिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा इसके साथ संलग्न सारणी में स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट वाहनों के लिये क्रम से पूर्व विशिष्ट पंजीयन क्रमांक आवंटन करने एवं किसी व्यक्ति को उसके नये यान के लिये उसके पुराने यान को पहले से आवंटित पुराने संख्यांक रखने के लिये शुल्क राशि, उसके स्तम्भ संख्या 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट प्रकार से विहित करती है:–

क्र. सं.	यान की श्रेणी एवं विशिष्ट पंजीयन क्रमांक का वर्णन	शुल्क की राशि (रुपयों में)
1	2	3
1.	दुपहिया यान–	
	(i) पंजीयन क्रमांक 1, 9, 786 एवं 9999 के आवंटन के लिये	10,000/–
	(ii) अन्य क्रमांकों के लिये	5000/–
	(iii) पुराने यान पर आवंटित किसी भी क्रमांक को नये यान पर रखने (रिटेन) हेतु	5000/–

2.	**दुपहिया से भिन्न यान—**	
	(i) पंजीयन क्रमांक 1 एवं 786 के आवंटन के लिये	1,01,000/—
	(ii) पंजीयन क्रमांक 2 से 9, 11, 101, 111 तथा 9999 के लिये	51,000/—
	(iii) अन्य 3 या 4 समान अंक वाले पंजीयन क्रमांकों के लिये	21,000/—
	(iv) शेष क्रमांक	11,000
	(v) पुराने यान पर आवंटित किसी भी क्रमांक को नये यान पर रखने (रिटेन) हेतु	21,000/—

परन्तु नये यान पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर इच्छित पंजीयन क्रमांक शुल्क वह राशि होगी जो नीलामी द्वारा (उपर्युक्त राशि को शामिल करते हुए) अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति से पंजीयन अधिकारी द्वारा प्राप्त की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से
(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव (मु.)

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ7(117)परि/नियम/मु/2014/5556 **जयपुर, दिनांक : 01.04.2015**

कार्यालय आदेश संख्या 6/2015

प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24.11.2014 द्वारा शपथ पत्र/अभिप्रमाणित दस्तावेज (Attested Documents) की अनिवार्यता को समाप्त करने व स्व—अभिप्रमाणित/स्व—घोषणा (Self Attested/Self Declaration) व्यवस्था लागू करने हेतु दिशा—निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त निर्देशों की व्याख्या में आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है कि—

विभाग में किसी भी प्रयोजनार्थ आवेदन के साथ स्व—अभिप्रमाणित (Self Attested) दस्तावेज एवं स्वयं घोषणा—पत्र (Self Declaration) स्वीकार किये जायेंगे लेकिन परिपत्र के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार प्रचलित अधिनियम/नियमों के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य किये गये शपथ पत्र/अभिप्रमाणित दस्तावेज पूर्वानुसार ही भविष्य में भी प्राप्त किये जाते रहेंगे।

उदाहरणार्थ:— राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 4.2क के उप—नियम (3) में उल्लेखित बीमा प्रमाण—पत्र एवं फिटनेस प्रमाण—पत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि यथावत संलग्न की जायेगी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 3 में उल्लेखित अभिप्रमाणित प्रतिलिपि (निवास प्रमाण पत्र, जन्म दिनांक प्रमाण पत्र) का प्रावधान संशोधित किया जा चुका है। उक्त संशोधन सम्बन्धी अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न है। अतः इसके स्थान पर अब स्व अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ही स्वीकार योग्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त सक्षम न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की पालना में प्राप्त किये जाने वाले शपथ पत्र की अनिवार्यता में किसी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की गयी है। अतः ऐसे आदेशों की

पालना में यथावत शपथ पत्र प्राप्त किये जायेंगे। **यथा:**— चौपहिया वाहन स्वामियों के पंजीयन हेतु पार्किंग स्थान उपलब्धता का शपथ पत्र पूर्वानुसार प्राप्त किया जाता रहेगा।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी परिपत्र की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग से सम्बन्धित समस्त सेवाओं/आवेदन के समय स्व–अभिप्रमाणन/स्वघोषणा व्यवस्था की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कर आवेदन की प्रक्रिया को सुगम व सरल बनाया जाये।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.7(66)/परि/रूल्स/एच.क्यू./94/5512 जयपुर, दिनांक : 01.04.2015

अधिसूचना

राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 8.28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 7(66) परि/रूल्स/एच.क्यू. दिनांक 05.07.2002 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा,—

(क) राज्य के खण्ड मुख्यालयों की नगरपालिका सीमाओं से भिन्न क्षेत्रों की पीछे बैठने वाली सवारियों की दशा में उक्त नियमों के उपबंधों से शिथिलता प्रदान करती है;

(ख) राजस्थान राज्य की समस्त नगरपालिकाओं की नगरपालिका सीमाओं से भिन्न क्षेत्रों को, उक्त नियम के उपबंधों के लागू किये जाने से छूट देती है।

यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के पश्चात् प्रवृत्त होगी।

राज्यपाल के आदेश से
(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प.22(250)परि/प्रवर्तन/रिट/2015/8251 जयपुर, दिनांक : 13.05.2015

कार्यालय आदेश सं. 13/2015

विषयः— **निर्माण सामग्री और मलबा/कचरा का परिवहन बिना ढके नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।**

प्रायः यह देखने में आया है कि भार वाहनों द्वारा रेत, बजरी, कचरा व अन्य ऐसी निर्माण सामग्री का परिवहन किया जाता है, जिसको बिना ढ़के अथवा भार क्षमता से अधिक भर दिये जाने के परिणामस्वरूप माल के गन्तव्य तक जाते समय सड़क पर गिरकर फैलता/उड़ता रहता है, जिससे जहां एक ओर गन्दगी फैलकर वातावरण को प्रदूषित कर नागरिकों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर अनेक वाहन भी परिवहन के समय फैली इस बजरी, मिट्टी एवं कचरा आदि से फिसलकर दुर्घनाग्रस्त हो जाते हैं।

राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 7.41 में इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भार वाहन के बॉडी विनिर्माण एवं भार रखे जाने वाले प्लेटफार्म के सम्बन्ध में प्रावधान समाविष्ट है, जिसके अन्तर्गत भार वाहनों की बॉडी इस प्रकार सुरक्षित रखी जावे, जिससे कि सामग्री ऐसे यान से बाहर गिरकर

सड़क प्रयोग करने एवं असापास के निवासियों के स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाये एवं यातायात को बाधित करने के साथ–साथ दुर्घटना का कारण भी न बने। उक्त उल्लेखित सामग्री का परिवहन करते समय वर्णित नियम की पालना के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी सामग्री का समुचित रूप से ढका जाना अत्यावश्यक है।

माननीय नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा *वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, एप्लीकेशन नं. 21/2014* के क्रम में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 में सभी तरह की निर्माण सामग्री और मलबा/कचरा का परिवहन बिना ढके नहीं किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—

1. **"All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever."**
2. **"The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleaned before it is permitted to ply on the road after unloading of such material."**

इसी क्रम में पूर्व में विभागीय कार्यालय आदेश सं. 77/2003 दिनांक 20.11.2003 द्वारा भी निर्माण सामग्री और मलबा/कचरा का परिवहन बिना ढके नहीं किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था।

अतः इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि माननीय नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं राजस्थान मोटरयान नियमों की पालना में बिना ढके निर्माण सामग्री और मलबा/कचरा का परिवहन अनुमत नहीं किया जावें। साथ ही निर्माण सामग्री परिवहन के पश्चात् वाहन को सही तरीके से सफाई के उपरान्त ही वाहन का संचालन किया जावे। उक्त निर्देशों की अवहेलना कर संचालित भार वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं तत्सम्मत् नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

माननीय नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना हेतु वाहन चालकों/स्वामियों, ट्रांसपोर्ट कम्पनियों एवं लीज धारकों में निर्माण सामग्री और मलबा/कचरा का ढक कर एवं सुरक्षित परिवहन किये जाने का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः— प.7(38)परि/नियम/मु/2007/III/9802 जयपुर, दिनांक : 04.06.2015

कार्यालय आदेश 17/2015

विभाग द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 4.3 में प्रदत्त शक्तियों के तहत् वाहन स्वामी को पूर्व में आवंटित पंजीयन अनुक्रमांक को नये वाहन पर रिटेन करने के सम्बन्ध में आदेश 31.03.2003 जारी किया गया था। आदेश के बिन्दु सं. 2 में आवेदक के पूर्व वाहन पर आवंटित रजिस्ट्रेशन क्रमांक को उसके नये वाहन पर आवंटित करने की प्रक्रिया विहित की गयी है। इसी बिन्दु के उप बिन्दु (3) में यह भी स्पष्ट कहा गया है जिस वाहन पर पुराना नंबर रिटेन किया जा रहा है, वो वाहन उस श्रेणी का हो, जिस श्रेणी में वाहन का पुराना नंबर था। इस क्रम में लेख है कि वर्ष 1989 से पूर्व पंजीकृत चारपहिया (गैर—परिवहन) श्रेणी बैठक क्षमता के अनुसार वर्गीकृत न होने के फलस्वरूप इस प्रकार के वाहनों के पंजीयन क्रमांक रिटेन करने में समस्या उत्पन्न हो रही है तथा इस सम्बन्ध में समय—समय

पर अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा मार्गदर्शन चाहा जाता रहा है। चारपहिया (गैर–परिवहन) श्रेणी वाहनों को पूर्व में आवंटित पंजीयन अनुक्रमांक को नये वाहन पर रिटेन करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं:–

> "ऐसे चार पहिया (गैर–परिवहन) वाहन जो वर्ष 1989 से पूर्व पंजीकृत हैं, के पंजीयन क्रमांक रिटेन करने की स्थिति में प्रथम रिटेन्शन आवेदन पर आवेदक द्वारा 5 बैठक क्षमता अथवा 5 बैठक क्षमता से अधिक के चार पहिया (गैर–परिवहन) यान दोनों में से किसी एक श्रेणी के वाहन पर स्वेच्छानुसार रिटेन किया जा सकता है, किन्तु उसी पंजीयन क्रमांक को आगामी रिटेन उसी श्रेणी पर किया जा सकेगा, जो प्रथम रिटेन के समय चुनी गयी थी।"

अतः समस्त पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 1989 से पूर्व पंजीकृत (गैर–परिवहन) श्रेणी यानों के पंजीयन क्रमांक रिटेन करने हेतु उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपनाई जावे।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प.7(04)परि/नियम/मु/92/05/14271 जयपुर, दिनांक : 27.07.2015

कार्यालय आदेश 22/2015

राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 5.19 के उपनियम (4) खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.02.2004 को जारी "संयुक्त प्रमाण–पत्र" की ऐच्छिक योजना लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत भार वाहनों द्वारा वाहन के प्रमाण–पत्रों के स्थान पर वाहन में "संयुक्त प्रमाण–पत्र" रखने का प्रावधान किया गया था। इस योजना के सबंध में जारी कार्यालय आदेशों के माध्यम से जिला परिवहन अधिकारी से अन्यून अधिकारी को ही उक्त प्रमाण–पत्र धारित वाहनों की जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया। जिससे भार वाहनों द्वारा क्षमता से अधिक भार वहन करने, नियमानुसार निर्धारित आकार से अधिक होने पर भी जिला परिवहन अधिकारी से न्यून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उन पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की समस्या उत्पन्न हो रही है एवं वाहन स्वामियों द्वारा इस योजना का अनुचित लाभ लिया जा रहा है। अतः संयुक्त प्रमाण–पत्र योजना, 2004 को यथावत् रखते हुए विभाग द्वारा योजना के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी समस्त कार्यालय आदेशों को एतद् द्वारा प्रत्याहूत (withdraw) किया जाता है।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.7(139)परि/नियम/पु/99/II/2007/14668 जयपुर, दिनांक : 03.08.2015

कार्यालय आदेश 25/2015

शिक्षण संस्थाओं के छात्र–छात्राओं को लाने व ले जाने में लगे तिपहिया वाहनों की निर्धारित एवं प्रभावी जांच के सम्बन्ध में:–

स्कूली बच्चों के चंचल एवं जिज्ञासु स्वाभाव होने के कारण इनका परिवहन ऑटो रिक्शा द्वारा सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है फिर भी तिपहिया वाहनों में स्कूली बच्चों को लाया ले–जाया जाता है तो राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 5.19 के उप–नियम 4(क) में वर्णित शर्तों के अनुरूप यान में ले जाये जाने वाले स्कूली बच्चों की संख्या यान की बैठक क्षमता से ढेढ गुनी से अधिक नहीं होगी।

अतः समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे शिक्षण संस्थाओं के छात्र–छात्रओं को लाने व ले जाने में कार्यरत तिपहिया वाहनों की प्रभावी चैकिंग कराये एवं अतिभरण के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार कठोर (परमिट/पंजीयन/चालक लाईसेंस निलम्बन आदि) कार्यवाही अमल में लायी जावे। प्रत्येक माह की 10 तारीख तक की गई कार्यवाही से नियमित रूप से अपर परिवहन आयुक्त (स.सु. एवं प्रवर्तन) को अवगत कराया जावें।

इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जावेगा।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– एफ7(495)परि/नियम/मु/2013/18818 जयपुर, दिनांक : 24.09.2015

कार्यालय आदेश 24/2015

यह सर्व विदित है कि विगत दिनों से राजस्थान राज्य में अनेक नई–नई कैब सर्विसेज स्थापित हो रही है जिनमें उबर कैब, ओला, ऑमनी, माई कैब, मैट्रो कैब, मेरू कैब, टैक्सी फॉर श्योर आदि मुख्य हैं। उक्त कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय कम्पनियों द्वारा भी राज्य में टैक्सी/कैब सेवायें संचालित की जा रही हैं।

यह भी जानकारी में आया है कि इन कैब सर्विस प्रदाओं एवं कैब चालकों द्वारा मोटरयान अधिनियम व नियमों की पालना पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है इनका संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इन कैब्स/टैक्सी के चालकों की संलिप्तता, अपहरण एवं दुष्कर्म जैसी घटनाओं में पाये जाने से तथा इनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाने से राज्य सरकार एवं परिवहन विभाग को जनाक्रोश का सामना करना पड़ रहा है।

इस सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 93 में स्पष्ट रूप से प्रावधान उपलब्ध है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सेवा यानों (टैक्सी/मैक्सी/बस/मिनी–बस) द्वारा यात्री के लिये टिकटों के विक्रय हेतु अभिकर्ता या प्रचारक (agent and canvasser) का कार्य अथवा ऐसे यानों के लिये ग्राहकों के अन्य रूप से याचना (other wise solicit) का कार्य तभी कर सकेगा जबकि उसने सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली है और राज्य सरकार द्वारा विहित की गई शर्तों के अध्यधीन ही कार्य करने हेतु बाध्य है।

उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 5. 73 में विस्तृत प्रावधान किये गये हैं। इनके अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से इस सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना अथवा इस नियम में निर्धारित शर्तों की अवहेलना करते हुए यदि किसी कम्पनी/व्यक्ति पर्यटकों या यात्रियों को सार्वजनिक सेवा यान, जिनमें टैक्सी/मैक्सी/कैब सम्मिलित हैं, की सेवायें उपलब्ध कराने के व्यवसाय संलिप्त हो तो ऐसी कम्पनी/सेवा प्रदाता के विरुद्ध अधिनियम/नियम के प्रावधानों के तहत

कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

सार्वजनिक सेवा यानों के सर्विस प्रदाता/एजेन्ट हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में स्पष्ट प्रावधान होने के उपरान्त भी इनकी पालना नहीं किया जाना राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।

अतः समस्त अनुज्ञप्ति अधिकारी/प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य में संचालित ऐसे समस्त सेवा प्रदाताओं की विस्तृत जांच कर प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें तथा प्रावधानों की पालना ना करने वाले सेवा प्रदाताओं एवं सार्वजनिक सेवा यान(टैक्सी/मैक्सी/बस/मिनी–बस) के स्वामियों/चालकों के विरुद्ध नियमानुसार उनके कार्यालयों को सील करने, वाहन के परमिट/फिटनेस/पंजीयन प्रमाण–पत्र निलम्बित करने, चालक लाइसेंस निलम्बित करने आदि कठोर कार्यवाही करते हुए सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाये।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि महिला यात्रियों कि सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 5.19 में दिनांक 31.08.2015 को किये गये संशोधनों के अनुसार संविदा यानों की परमिट शर्तों में कुछ विशेष शर्तें और जोड़ी गई हैं। उक्त शर्तों की पालना समस्त संविदा यानों (टैक्सी/मैक्सी/बस/मिनी–बस) में कराई जानी सुनिश्चित किया जावे।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.7(66)/परि/रूल्स/एच.क्यू./94/20445 जयपुर, दिनांक : 28.10.2015

अधिसूचना

राजस्थान मोटरयान अधिनियम, 1990 के नियम 8.28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 7(66) परि/रूल्स/एच.क्यू./5512 दिनांक 01.04.2015 को इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से विखण्डित करती है।

राज्यपाल के आदेश से
(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव

● The Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990—Rule 8.28—Notification No. F.7(66)/Pari/Rules/H.Q./94/5512, dt. 1.4.2015—Rescinded with immediate effect.

Noti. No. F. 7(66) Pari/Rules/H.Q./94/20445, dt. 28.10.2015, G.S.R. 103.— In exercise of the powers conferred by Rule 8.28 of Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, the State Government hereby rescinds this department's notification number F. 7(66)/Pari/Rules/H.Q./94/5512, dt. 1.4.2015, with immediate effect.

[Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord., Pt. IV(C)(I), dt. 28.10.2015]